नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखा परीक्षक
की
वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय-सूची

प्राक्कथन

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार 31 मार्च 2008 को समाप्त हुए वर्ष की वार्षिक आडिट रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार कर दी गई है । अधिनियम में यह परिकल्पना की हुई है कि मुख्य लेखा परीक्षक परिषद् के पूर्व वर्ष के समस्त लेखों की रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु समीक्षाओं से संबंधित वार्षिक आडिट रिपोर्ट परिषद् को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है।

यह आडिट रिपोर्ट वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक लेखों तथा लेन-देन/मामलों की टिप्पणियों के संबंध में है । रिपोर्ट में प्रस्तुत ये लेन-देन/मामले उनमें से हैं जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान लेखा व लेन-देन के परीक्षण लेखा परीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा पूर्व वर्ष में भी जो जानकारी में आये परंतु पिछली रिपोर्ट में नहीं दिए जा सकें; वर्ष 2007-08 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार इसमें सम्मिलित किये गये हैं।

सारांश

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, और अन्य आठ अध्यायों के 11 पैराग्राफों में परिषद् के विभिन्न विभागों के आडिट के परिणाम सम्मिलित हैं।

वित्तीय परिणाम

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है । सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है । वर्ष 2007-08 के दौरान, 60.13 करोड़ रुपये का आधिक्य था जिससे 31 मार्च 2008 को समापन शेष 91.74 करोड़ रुपये हो गया ।

वर्ष 2006-07 में प्राप्त राजस्व 1125.00 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1359.17 करोड़ रुपये हो गया जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 20.82 प्रतिशत अधिक है । कुल प्राप्त राजस्व में कर राजस्व का अंश 223.10 करोड़ रुपये था जो कि कुल राजस्व का 16.41 प्रतिशत था । गृहकर की 188.48 करोड़ रुपये की राशि अर्थात् कुल राजस्व का 84.48 प्रतिशत, राजस्व का प्रमुख स्रोत बना रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान गैर-कर राजस्व का अंश 1055.52 करोड़ रुपये था, जो कि कुल प्राप्त राजस्व का 77.66 प्रतिशत था । 2006-07 में 883.73 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व बढ़कर 2007-08 में 1055.52 करोड़ रुपये हो गया, इस तरह 2006-07 के मुकाबले 2007-08 में 19.44 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गयी । गैर-कर राजस्व का प्रमुख अवयव ऊर्जा की बिक्री था जिसकी कुल राशि 563.24 करोड़ रुपये थी जो कि कुल गैर-कर राजस्व का 53.36 प्रतिशत था।

परिषद् का व्यय 33.58 प्रतिशत बढ़ा है जो वर्ष 2006-07 में रुपये 1017.69 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1359.46 करोड़ रुपये हो गया है । राजस्व व्यय 2006-07 में 937.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007-08 में 1195.31 करोड़ रुपये हो गया है। न.दि.न.पा.परिषद् के निर्माण कार्यों में हुआ पूँजीगत व्यय वर्ष 2006-07 में 73.21 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 155.25 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें जमा कार्य सम्मिलित नहीं हैं और यह पिछले वर्ष की तुलना में 112.06 प्रतिशत बढ़ा है। राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 27.46 प्रतिशत बढ़ा है । वर्ष 2006-07 में हुए व्यय की तुलना में वर्ष 2007-08 में सामान्य सेवाओं में 61.38 प्रतिशत, सामाजिक व विकास सेवाओं में 30.53 प्रतिशत तथा आर्थिक सेवाओं में 28.23 प्रतिशत राजस्व व्यय की वृद्धि हुई है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान 1162.91 करोड़ रुपये की तुलना में वास्तविक प्राप्तियाँ 1359.17 करोड़ रुपये थी। अनुमानित स्तर पर वास्तविक एवं संशोधित अनुमान के मध्य अन्तर केवल 12.57 करोड़ रुपये था, छः मामलों में 0.11 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में शून्य प्राप्ति हुई। 35 अन्य मामलों में संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियों की कमी 1.37 प्रतिशत से 99.50 प्रतिशत के बीच रही। दूसरी और 29 मामलों में वास्तविक प्राप्तियाँ, संशोधित अनुमानों की तुलना में 1.44 प्रतिशत से 2314.00 प्रतिशत तक अधिक रहीं।

वर्ष 2006-07 तक वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से लगातार कम रहा । परन्तु 2007-08 के दौरान संशोधित अनुमान से 1.10 प्रतिशत व्यय अधिक रहा । 102 लेखा शीर्षों में बजट प्रावधान से व्यय अधिक था। व्यय का आधिक्य संशोधित अनुमान की तुलना में 0.88 प्रतिशत से 264605.00 प्रतिशत के मध्य था। 65 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत संशोधित बजट अनुमान में प्रावधान के बिना व्यय किया गया था। 131 मामलों में संशोधित अनुमानों का उपयोग ही नहीं किया गया था । 114 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों में बचत की सीमा 50 प्रतिशत और 99.83 प्रतिशत के मध्य थी।

योजना व्यय के आठ लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 2.99 प्रतिशत से 99.30 प्रतिशत की बड़ी बचत हुई। एक मामले में संशोधित अनुमानित 5.00 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं हुआ।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के प्रारम्भ में विविध अग्रिम शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष 21.30 करोड़ रुपये था । वर्ष के दौरान 56.46 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अग्रिम राशि स्वीकृत हुई जबकि 6.18 करोड़ रुपये की राशि समंजित हुई और वर्ष के अंत में 71.58 करोड़ रुपये की राशि बकाया शेष रही।

(पैराग्राफ-1)

लेखा विभाग

अधिक्य निधि के निवेश पर 94.27 लाख रुपये के ब्याज की हानि

अधिक्य निधि के निवेश के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक पखवाड़े में निवेश समिति द्वारा हर महीने की 15 और 30 तारीख को नकद राशि के अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह की प्रत्याशा में निवेश योग्य अधिशेष निधि निकालनी चाहिए। वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के निवेश विभाग के लेखा-परीक्षा के दौरान पता चला कि कुछ मामलों में निवेश समिति की बैठक तुरन्त आयोजित नहीं हुई जिस कारण अधिशेष निधि के निवेश में बेवजह विलम्ब के फलस्वरूप 77.14 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई । पुनः यह बात भी सामने आयी कि निवेश उप-समिति की 16 मई 2006 से 31 मई 2006 और 1 सितम्बर 2006 से 15 सितम्बर 2006 के पखवाड़े में बैठक नहीं हुई जिससे 17.13 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.1)

वर्तमान ब्याज की मुख्य दरों पर निधियों के सूचिबद्ध न होने के कारण ब्याज की हानि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने दिसम्बर 2003 से अक्टूबर 2005 के दौरान 5.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ निवेश किया । स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने नवम्बर 2005 में हुए निवेश हेतु 6.85 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर की पेशकश की । यद्यपि निवेश के समयपूर्व नकदीकरण की सुविधा 0.5 प्रतिशत की दर पर जुर्माने की कटौती के उपरांत उपलब्ध थी, विभाग ने अपने निवेश को पुनः अनुसूचित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 380.52 लाख रुपये के ब्याज की कम प्राप्ति हुई ।

(पैराग्राफ 2.2)

सिविल इंजीनीयरिंग विभाग

निर्धारित सीमा के पश्चात् प्रतिस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए सामान क्रय करने में अनियमितता

भंडार (सिविल) प्रभाग द्वारा किए गए करार के विचलन क्लॉज के अनुसार, समान दरों पर करार में दी गई मूल मात्रा के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ताओं से मात्र 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा ही प्राप्त हो सकती है। यद्यपि 26.92 प्रतिशत से 112.5 प्रतिशत तक, विभाग द्वारा उपलब्ध सामग्री की अतिरिक्त मात्रा लेने से करार में दी गई उच्चतम सीमा का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यकता का गलत अनुमान इंगित करता है।

(पैराग्राफ 3.1)

वाणिज्यिक विभाग

अधिकतम मॉग सूचक सरचार्ज की वसूली न होने के कारण 1.03 करोड़ रुपये की हानि

अक्टूबर 2004 के परिषद् के प्रस्ताव के अनुसार, दो भाग दर पद्धति लागू करने के लिए विद्युत के थोक उपभोक्ताओं के मामले में, स्वीकृत लोड अधिक मॉग के बराबर होगा जैसाकि अधिकतम माँग सूचक (एमडीआई) द्वारा बताया गया है यदि अधिकतम मांग अनुबन्ध मांग से 5 प्रतिशत से अधिक होती है तो 30 प्रतिशत का सरचार्ज कुल मांग पर वसूला जाएगा जिसमें ऐसे बिलिंग चक्र हेतु ऊर्जा प्रभार सम्मिलित है । रिकार्डो की जांच से पता चला कि 34 मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को एम.डी.आई. सरचार्ज की वसूली न होने के कारण 1.03 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

(पैराग्राफ 4.1)

विद्युत प्रभारों के बकायों की वसूली न होना

बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली में विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2002 में 70.70 करोड़ रुपये से 31 मार्च 2008 तक 103.93 करोड़ रुपये की बकाया राशि का संग्रहण हो गया।

(पैराग्राफ 4.2)

विद्युत विभाग

खराब ट्रांसफार्मरों का निपटान न होना

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विद्युत विभाग के रखरखाव दक्षिण प्रभाग में 45 अनुपयोगी/जले हुए ट्रान्सफारर्मर पड़े हैं । इनमें से, 22 ट्रान्सफार्मरों का निपटान हेतु निरीक्षण किया गया तथा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया । तथापि, इन ट्रान्सफार्मरों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के 22 से 25 मास के बाद भी निपटान नहीं किया गया । शेष 23 ट्रान्सफार्मरों का आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष 1980 से 2007 से अनुपयोगी/जले हुए पड़े थे।

(पैराग्राफ 5.1)

प्रवर्तन विभाग

टैक्सी बूथों, पीसीओ बूथों, तहबाजारी तथा स्टालों के आवंटियों से लाइसेंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना

टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, तहबाजारी तथा स्टालों के आवंटियों से लाइसैंस शुल्क वसूली में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई । परिणामस्वरूप, मार्च 2008 तक टैक्सी बूथो, पी.सी.ओ. बूथों, तहबाजारी तथा स्टालों के लाइसैंसियों के विरूद्ध 60.16 लाख रुपये की लाइसैंस शुल्क राशि का बकाया था ।

(पैराग्राफ 6.1)

सम्पदा विभाग

व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आबंटियों से लाइसैंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना

व्यवसायी इकाइयों के पूर्व आवंटियों से लाइसैंस शुल्क के बकायों की वसूली हेतु पर्याप्त प्रयास करने में विभाग के असमर्थ रहने के परिणामस्वरूप 390 पार्टियों से 121.87 करोड़ रुपये की वसूली उनके परिसर को खाली करने के पश्चात् भी नहीं हुई।

(पैराग्राफ 7.1)

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

वार्षिक रखरखाव अनुबंध सौंपने से पूर्व काफी संख्या में कम्प्यूटरों/पेरिफेरियल्स संबंधित उपकरणों के आंकडों का मिलान न करना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 29.37 लाख रुपये की लागत पर एक वर्ष हेतु मार्च 2007 में एक फर्म को 1212 कम्प्यूटर तथा पेरिफेरियल्स हेतु ए.एम.सी. सौंपा । कार्य सौंपने के पश्चात्, फर्म ने पाया कि ए.एम.सी में सौंपे गए 1212 उपकरणों में से 377 उपकरण नदारद थे । विभाग ने विस्तृत जांच किए बिना तथा उपकरणों की संख्या के मिलान के बिना, फर्म द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर 18.80 लाख रुपये की ए.एम.सी की लागत संशोधित की। इसके अलावा न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा सभी उपकरणों के प्रत्यक्ष सत्यापन की कमी के कारण उपकरणों की कमी की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है।

(पैराग्राफ 8.1)

कर विभाग

सम्पत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

दोषी पार्टियों से सम्पत्ति कर की वसूली हेतु प्रभावी प्रयास नही किए गए । परिणामस्वरूप, सम्पत्ति कर के बकाया तथा पैनल्टी मार्च 2008 तक 6172 पार्टियों से 675.60 करोड़ रुपये राशि के बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 9.1)

संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली न होना

पूर्व में ऑडिट द्वारा इंगित करने के बावजूद दोषी संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली करने हेतु पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई । परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2008 तक संस्थानों के विरूद्ध 9.09 करोड़ रुपये के सम्पत्ति कर के बकाया संचित थे।

(पैराग्राफ 9.2)

वित्त
एवं
लेखा

अध्याय I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है जो वर्ष 2007-08 के लिये परिषद् के लेखों में दी गई सूचना के विश्लेषण पर आधारित है । यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 58 के अनुसार परिषद् के लेखे तैयार किये जाते हैं। लेखे तैयार करने की प्रक्रिया पंजाब पालिका अधिनियम, 1911 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार है । तद्नुसार प्रपत्र जी-4 में तैयार किये गये लेखे बजट/संशोधित अनुमानों के अनुरूप राजस्व और व्यय के विवरण शीर्षानुसार दर्शाते हैं । वर्तमान प्रक्रिया में, लेखे में परिसम्पत्तियों और देयता का विवरण प्रस्तुत करने की कोई व्यवस्था नहीं है । परिणामस्वरूप 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष की परिसम्पत्तियों एवं देयता की स्थिति को दर्शाता विवरण वार्षिक लेखे के साथ ऑडिट को प्रस्तुत नहीं किया गया यद्यपि ऑडिट ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में भी ऐसे विवरणों की आवश्यकता के संबंध में इंगित किया है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एकल प्रविष्टि पद्धति से दोहरी प्रविष्टि पद्धति में लेखों को परिवर्तित कर रही है । वर्ष 2007-08 तक के परिवर्तित लेखे अलग से तैयार किए गए हैं।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रतिबिम्बित होती है । सभी प्राप्तियों और व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है । वर्ष 2007-08 के दौरान, 60.13 करोड़ रुपये का आधिक्य था जिससे 31 मार्च 2008 को समापन शेष 91.74 करोड़ रुपये हो गया ।

3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्रोत में परिषद् के राजस्व की प्राप्ति सम्मिलित है । इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूंजी व्यय पर होता है । वर्ष 2006-07 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ 1125.00 करोड़ रुपये से बढ़कर 2007-08 में 20.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये 1359.17 करोड़ रुपये हो गई।

वर्ष 2006-07 में 937.60 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1195.31 करोड़ रुपये हो गया । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर, जमा कार्यों को छोड़कर, पूंजी व्यय वर्ष 2006-07 में 73.21 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 155.25 करोड़ रुपये हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार "नई दिल्ली नगरपालिका निधि" के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है । परिषद् द्वारा या परिषद् के नाम पर किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली राशि नई दिल्ली नगरपालिका निधि का हिस्सा मानी जाती है । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् की ओर से व्यय इस निधि में से किये जाते हैं । वर्ष 2007-08 के लिए इस निधि के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ एवं व्यय निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.1 : नई दिल्ली नगरपालिका निधि

(रुपये करोड़ में)

	2007-08	2006-07
1 अप्रैल को अथशेष (ओपनिंग बैलेंस)	31.61	82.35
जमा वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	4385.57	1971.18
योग	**4417.18**	**2053.53**
		2021.92
वर्ष के दौरान निवल आधिक्य (+)/घटा (-)	60.13	(-)50.74
31 मार्च को समापन शेष	**91.74**	**31.61**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007-08 में 60.13 करोड़ रुपये का आधिक्य था । वर्ष 2007-08 की समाप्ति पर जी-4 विवरण पर आधारित समापन शेष 91.74 करोड़ रुपये था।

4385.57 करोड़ रुपये की प्राप्तियों में, 1359.74 करोड़ रुपये की कुल साधारण प्राप्तियाँ (बजट में व्यवस्थित), 35.02 करोड़ रुपये की जमा निधि, 2990.81 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि/सामान्य निधि निवेश तथा शून्य रुपये की निलम्बित (संस्पेस) एवं प्रेषित धनराशि सम्मिलित थी । निवेश पर ब्याज के रूप में कुल 309.45 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

4325.44 करोड़ रुपये के व्यय में 1359.46 करोड़ रुपये का कुल साधारण व्यय, 2915.20 करोड़ रुपये की आरक्षित निधि तथा 50.78 करोड़ रुपये की निलम्बित स्टाक एवं अग्रिम राशि सम्मिलित थी ।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के अतिरिक्त, मुख्यतः कर एवं गैर-कर राजस्व सम्मिलित हैं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों का रूझान निम्न प्रकार था:

तालिका 1.2 : राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
2007-08	**1359.17**	**(+) 20.82**
2006-07	1125.00	(+)7.17
2005-06	1049.71	(-)2.62
2004-05	1077.91	(+)25.05
2003-04	861.97	(-)2.28

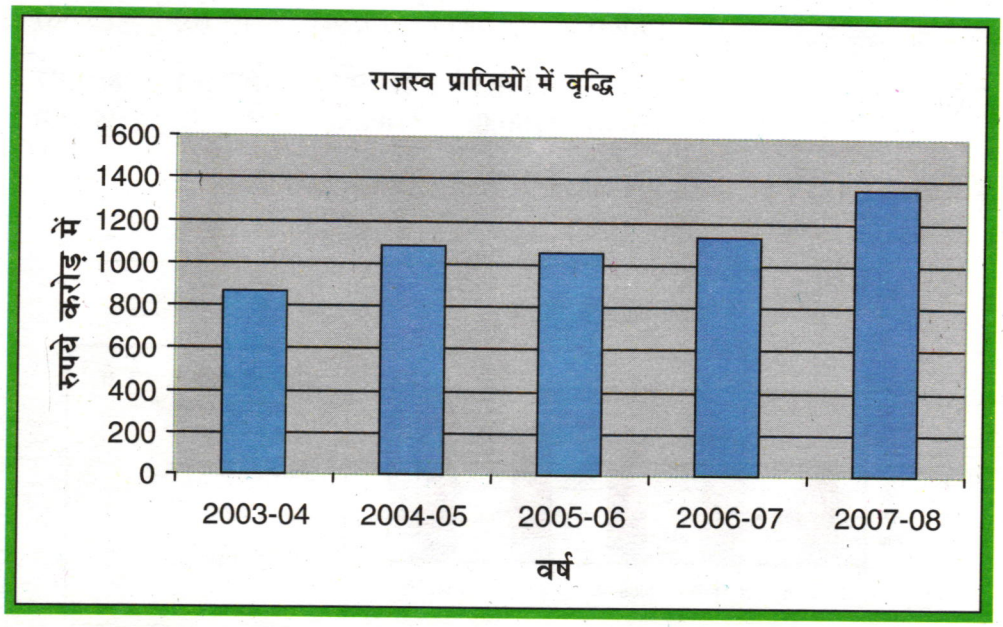

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 में 20.82 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि, गृहकर (22.97 प्रतिशत), कर का निर्धारित हिस्सा (20.51 प्रतिशत), विज्ञापन/प्रदर्शनी/थियेटर कर (364.17 प्रतिशत), अन्य कर (53.33 प्रतिशत), भवन संबंधित प्राप्तियाँ (5.27 प्रतिशत), शुल्क एवं जुर्माने (17.21 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (95.12 प्रतिशत), अग्रिमों पर ब्याज (2.24 प्रतिशत), विद्युत (2.70 प्रतिशत), जल की बिक्री (6.42 प्रतिशत), अन्य नगरपालिका कार्य (5.03 प्रतिशत), अनुदान सहायता योजना (224.25 प्रतिशत), अनुदान सहायता गैर-योजना (20.10 प्रतिशत) तथा विधानसभा सदस्य निर्वाचन निधि (60.87 प्रतिशत), में वृद्धि के कारण हुई जबकि सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क (47.16 प्रतिशत), प्रशासनिक विभाग प्राप्तियाँ (27.86 प्रतिशत), समाज सेवा प्राप्तियाँ (2.88 प्रतिशत) तथा जमा कार्य (8.41 प्रतिशत) के अन्तर्गत अनुलग्नक-I में दिए गए विवरणानुसार प्राप्तियों में कमी हुई ।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के संघटक

राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक कर एवं गैर-कर राजस्व तथा सहायता अनुदान हैं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.3: राजस्व प्राप्ति के संघटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
कर राजस्व	223.10 (16.41)	196.47 (17.47)	173.07 (16.49)	172.27 (15.98)	142.31 (16.51)
गैर-कर राजस्व	1055.52 (77.66)	883.73 (78.55)	842.59 (80.27)	860.85 (79.86)	690.49 (80.11)
दिल्ली/केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	80.55 (5.93)	44.80 (3.98)	34.05 (3.24)	44.79 (4.16)	29.17 (3.38)
कुल	**1359.17 (100.00)**	**1125.00 (100.00)**	**1049.71 (100.00)**	**1077.91 (100.00)**	**861.97 (100.00)**

- **कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता दर्शाते हैं।**

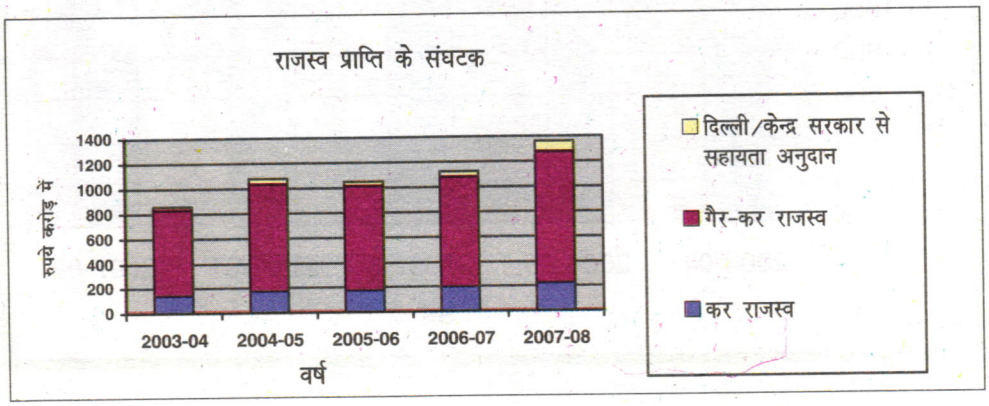

गैर-कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का प्रमुख घटक बना रहा । लेकिन, कुल राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के अनुसार, गैर-कर राजस्व वर्ष 2003-04 में 80.11 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2007-08 में 77.66 प्रतिशत रह गया । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि कुल राजस्व का बहुत ही छोटा हिस्सा है, वर्ष 2003-04 में 3.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.93 प्रतिशत हो गया । जबकि इसी अवधि के दौरान कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2003-04 में 16.51 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2007-08 में 16.41 प्रतिशत हो गया ।

1.6 कर राजस्व

1.6.1 कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के कर राजस्व में गृहकर, सम्पति के हस्तातंरण पर शुल्क, विज्ञापन कर आदि सम्मिलित हैं । वर्ष 2003-04 से 2007-08 तक कर राजस्व में वृद्धि का रूझान निम्न प्रकार था :

तालिका 1.4 : कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व
2007-08	**223.10**	**13.55**	**16.41**
2006-07	196.47	13.52	17.47
2005-06	173.07	0.46	16.48
2004-05	172.27	21.05	15.98
2003-04	142.31	(-)1.66	16.51

पिछले चार वर्षों में कर राजस्व में लगातार वृद्धि का रूझान रहा है । वर्ष 2007-08 में कर राजस्व की प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई । कर राजस्व के अधीन प्राप्तियाँ वर्ष 2003-04 में 142.31 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 223.10 करोड़ रुपये हो गई । पिछले पॉच वर्षों के दौरान कर राजस्व में वृद्धि की दर (-) 1.66 प्रतिशत तथा 21.05 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रही है ।

1.6.2 कर राजस्व के संघटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न संघटकों की वृद्धि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

तालिका 1.5 : कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

संघटक	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
गृह कर	188.48 (84.48)	153.27 (78.01)	147.10 (84.99)	147.60 (85.68)	127.89 (89.87)
सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क	13.69 (6.14)	25.90 (13.18)	13.15 (7.60)	13.28 (7.71)	7.94 (5.58)
विज्ञापन/प्रदर्शन कर	0.11 (0.05)	0.03 (0.02)	0.14 (0.08)	0.10 (0.06)	0.09 (0.06)
करों का निर्धारित हिस्सा	20.82 (9.33)	17.27 (8.79)	12.68 (7.33)	11.29 (6.55)	6.39 (4.49)
कुल	**223.10 (100.00)**	**196.47 (100.00)**	**173.07 (100.00)**	**172.27 (100.00)**	**142.31 (100.00)**

*** कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।**

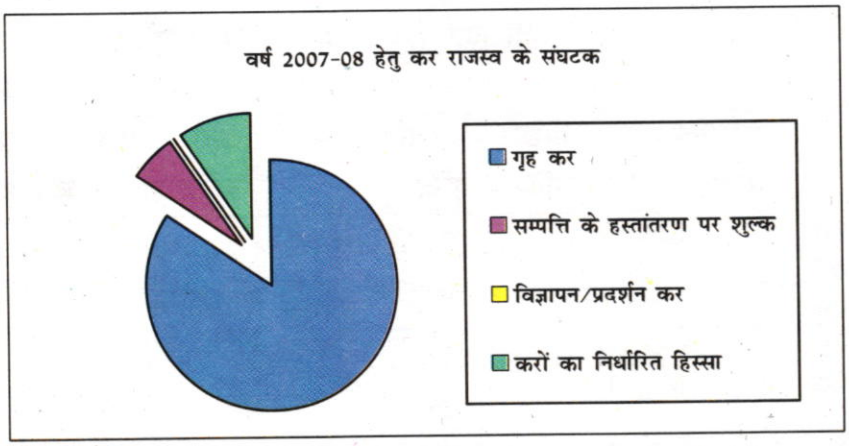

कर राजस्व का प्रमुख अंशदाता गृह कर बना रहा । वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान इस का हिस्सा कुल कर राजस्व का 78.01 प्रतिशत तथा 89.87 प्रतिशत के मध्य रहा । सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि वर्ष 2003-04 में 7.94 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 13.69 करोड़ रुपये हो गई । करों के निर्धारित हिस्सों की प्राप्तियों में वर्ष 2007-08 के दौरान पूर्णतः तथा सम्बन्धित, दोनों ही तौर पर वृद्धि हुई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.6 : गैर -कर राजस्व में वृद्धि

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर-कर राजस्व	पूर्व वर्ष पर प्रतिशत वृद्धि (+) /कमी(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	**1055.52**	**(+)19.44**	**77.66**
2006-07	883.73	(+)4.88	78.55
2005-06	842.59	(-)2.12	80.27
2004-05	860.85	(+)24.67	79.86
2003-04	690.49	(-)3.24	80.11

वर्ष 2007-08 में परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 77.66 प्रतिशत गैर-कर राजस्व रहा। वर्ष 2003-04 में इसका हिस्सा 80.11 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2007-08 में 77.66 प्रतिशत रह गया। पिछले पांच वर्षों में गैर-कर राजस्व की दर (-) 3.24 प्रतिशत एवं 24.67 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही है। गैर कर राजस्व वर्ष 2006-07 में 883.73 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1055.52 करोड़ रुपये हो गई अर्थात् वर्ष 2006-07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में 19.44 प्रतिशत तक वृद्धि पंजीकृत हुई।

1.7.2 गैर-कर राजस्व का संयोजन

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/जल की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क, निवेशों पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ सम्मिलित है । गैर-कर राजस्व के विभिन्न संघटकों की वृद्धि प्रतिमान का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.7: गैर-कर राजस्व के संघटक

(रुपये करोड़ में)

घटक	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
ऊर्जा की बिक्री	563.24 (53.36)	545.59 (61.74)	515.17 (61.14)	533.09 (62.03)	532.50 (77.12)
जल की बिक्री	21.36 (2.02)	20.07 (2.27)	23.50 (2.79)	14.32 (1.66)	15.00 (2.17)
किराया/लाइसेंस शुल्क एवं वाणिज्यिक कार्यकलापों से प्राप्तियाँ	135.57 (12.84)	129.06 (14.60)	124.58 (14.79)	110.76 (12.87)	97.77 (14.16)
शुल्क,जुर्माना और विविध प्राप्तियाँ	25.90 (2.46)	30.42 (3.44)	23.61 (2.80)	23.04 (2.68)	17.94 (2.60)
निवेश पर ब्याज	309.45 (29.32)	158.59 (17.95)	155.73 (18.48)	178.74 (20.76)	27.28 (3.95)
कुल	**1055.52 (100.00)**	**883.73 (100.00)**	**842.59 (100.00)**	**860.85 (100.00)**	**690.49 (100.00)**

*** कोष्ठकों में दिये गये आंकड़ें कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।**

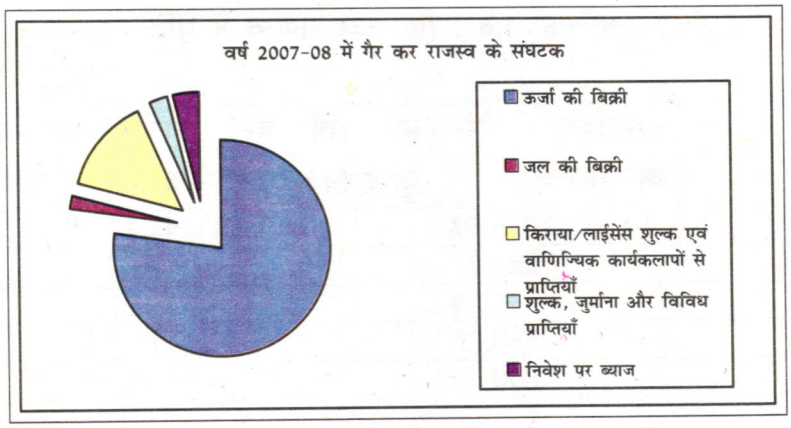

गैर-कर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ऊर्जा की बिक्री, किराया/लाइसेंस शुल्क व अन्य वाणिज्यि कार्यकलापों तथा निवेश पर ब्याज से हुई प्राप्तियाँ थी। पिछले पांच वर्षो के दौरान, कुल गैर-कर राजस्व के हिस्से के रूप में ऊर्जा की बिक्री की प्राप्तियों में 53.36 प्रतिशत एवं 77.12 प्रतिशत के मध्य घट-बढ़ रही थी। पिछले वर्ष की तुलना में गैर-कर-राजस्व में वृद्धि मुख्यत: ऊर्जा की बिक्री एवं निवेश पर ब्याज के कारण थी ।

1.8 सहायता अनुदान

परिषद् राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त करती है। पिछले पांच वर्षो के दौरान दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता का रूझान निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	**80.55**	**5.93**
2006-07	44.80	3.98
2005-06	34.05	4.04
2004-05	44.79	4.16
2003-04	29.17	3.38

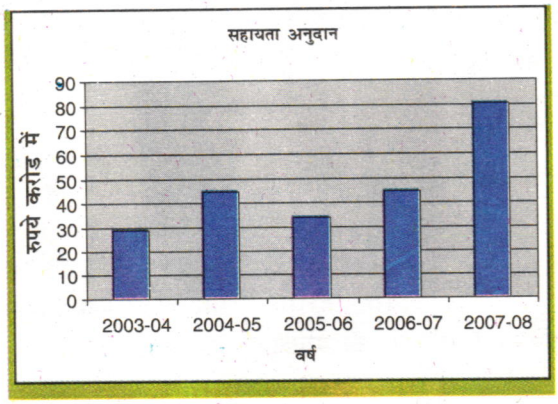

राष्टीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुदान वर्ष 2003-04 में 29.17 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 80.55 करोड़ रुपये हो गया था । कुल प्राप्तियों के अनुपात में यह वर्ष 2003-04 में 3.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 5.93 प्रतिशत हो गया । परिषद् ने राष्टीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान कोई ऋण नहीं लिया।

1.8.1 पिछले वर्ष के सहायता अनुदान का समायोजन न करना

वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में कुछ योजनाओं की अनुदान सहायता राशि बिना व्यय किये शेष पड़ी थी । सामान्यतः आगामी राशि के भुगतान से पूर्व पिछले वर्ष की व्यय न की गई शेष राशि को खाते में जोड़ना आवश्यक होता है। अनुदान-सहायता के खर्च न हुए शेष के समंजन न होने के कारण, अनुदान का अधिकता में देना खारिज़ नही किया जा सकता। आडिट जॉच से पता चला है कि पाँच योजनाओं पर व्यय नहीं की गई शेष राशि का समायोजन किये बिना 2007-08 के लिए सहायता अनुदान जारी किया गया। इनका विवरण निम्न प्रकार से हैं :

तालिका 1.9 : अनुदान सहायता का समायोजना न करना

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना	01.4.2007 को व्यय न की गई शेष राशि
1	नाला ढकना व बाढ़ निरोध (योजना)	42.67
2	मध्यान्ह भोजन (गैर-योजना)	64.39
3	मध्यान्ह भोजन (योजना)	33.06
4	एम.एल.ए. निधि	350.79
5	सांख्यिकीय इकाई	1.25

1.8.2 सहायता अनुदान की अधिक प्राप्ति/अनोपयोग

चार योजनाओं में, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार से वर्ष 2007-08 के दौरान प्राप्त अनुदान सहायता विशेष रूप में शेष/ अनोपयोगी रही। विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका 1.10 : सहायता अनुदान का अधिक/गैर उपयोगिता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत राशि	उपयोगी राशि	दिनांक 31.3.08 को बिना खर्च बकाया	वर्ष 2007-08 के दौरान अधिक उपयोगी
1	राष्ट्रमंडल खेल परियोजना	700.00	179.61	520.39	-
2 ए	जन-स्वास्थ्य-एंटी मलेरिया	40.00	48.77	-	8.77

2 बी	जन-स्वास्थ्य-शिक्षा	20.00	12.12	7.88	-
2 सी	जन-स्वास्थ्य-एपीडेमियोलॉजी इकाई	15.00	9.02	5.98	-
3	पोषण (मध्याह्न भोजन)	70.00	36.92	33.08	-
4	विधायक निधि कोष				
	(i) गोल मार्किट निर्वाचन क्षेत्र	199.10	304.74	-	105.64
	(ii) सरोजिनी नगर निर्वाचन क्षेत्र	285.69	165.12	120.57	-
	(iii) मिंटो रोड निर्वाचन क्षेत्र	15.00	20.02	-	5.02

सहायता अनुदान का अधिक/गैर उपयोगिता हेतु कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

यद्यपि लेखे में गृहकर का बकाया उपलब्ध था परंतु वर्ष अनुसार बकाया को इंगित नहीं किया गया था । इस संबंध में आडिट रिपोर्ट में पूर्व में भी इंगित किया गया था परन्तु विभाग द्वारा सुधारात्मक उपाय अभी उठाये जाने हैं। बकायों की वसूली के बेहतर निरीक्षण हेतु बकायों के वर्ष वार विवरण बनाना अपेक्षित है, ताकि प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय का रूझान

इस रिपोर्ट में, कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजी व्यय, बाह्य सहायता और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने सहित सभी व्यय सम्मिलित किये गये हैं। परिषद् ने वर्ष 2007-08 में कुल 1359.46 करोड़ रुपये व्यय किये । वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान व्यय का रूझान निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.11 : व्यय का रूझान

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय		दिल्ली सरकार/ बाह्य सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों की अदायगी	न.दि.न.पा.प. कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		न.दि.न.पा. परिषद् के कार्य	जमा कार्य			
2007-08	**1195.11**	**155.25**	**8.46**	**0.20**	**0.44**	**1359.46**
2006-07	937.60	73.21	6.36	शून्य	0.52	1017.69
2005-06	928.89	34.86	6.24	0.33	0.59	970.91
2004-05	899.20	27.10	5.74	33.83	0.62	966.49
2003-04	738.10	48.99	6.11	7.34	0.94	801.48

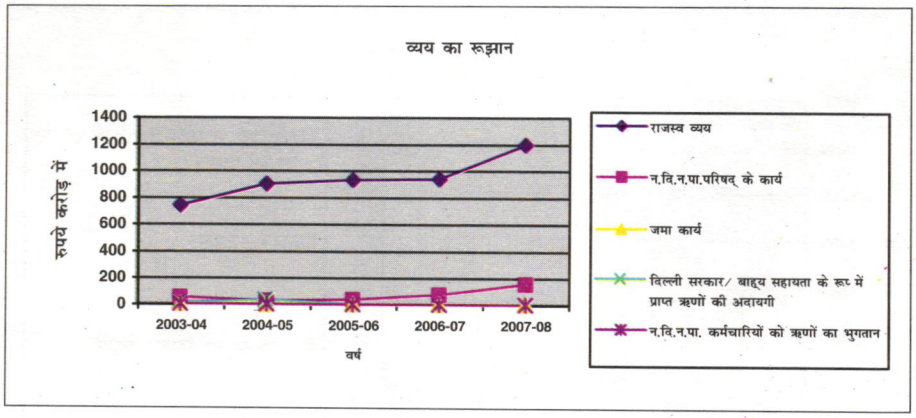

1. वर्ष 2003-04 में 801.48 करोड़ रुपये का कुल व्यय बढ़कर वर्ष 2007-08 में 1359.46 करोड़ रुपये हो गया । पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान व्यय 33.58 प्रतिशत बढ़ गया ।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2003-04 में 48.99 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 155.25 करोड़ रुपये हो गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह 112.06 प्रतिशत तक बढ़ गया । पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 27.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1.10.2 पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार किया गया व्यय

तालिका 1.12 पिछले पॉच वर्षों में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर हुये व्यय को दर्शाती है :

तालिका 1.12 : क्षेत्रवार व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
1	सामान्य सेवायें	244.03 (17.95)	151.03 (14.84)	187.68 (19.53)	231.58 (23.96)	145.52 (18.16)
2	सामाजिक एवं विकास सेवायें	235.55 (17.33)	180.46 (17.73)	154.80 (15.95)	148.69 (15.38)	136.24 (17.00)
3	आर्थिक सेवायें	879.88 (64.72)	686.20 (67.43)	628.10 (64.69)	552.39 (57.16)	512.38 (63.93)
4	ऋणों की अदायगी/बिना खर्च हुए शेष धन की वापसी	शून्य	शून्य	00.33 (0.03)	33.83 (3.50)	7.34 (0.91)
		1359.46 (100.00)	**1017.69 (100.00)**	**970.91 (100.00)**	**966.49 (100.00)**	**801.48 (100.00)**

*** कोष्ठकों में दर्शाये गये आंकड़े कुल व्यय के संबंध में प्रतिशतता इंगित करते हैं।**

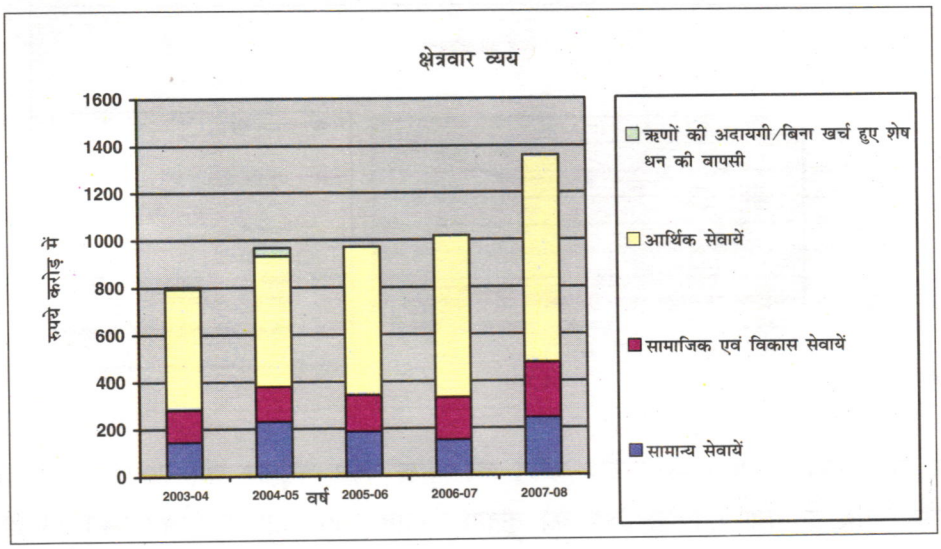

सामान्य सेवाओं के घटक वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान घट-बढ़ का रूझान दर्शाते हैं । सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर व्यय वर्ष 2003-04 में 17.00 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 17.33 प्रतिशत हो गया । अर्थिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2003-04 में 63.93 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2007-08 में 64.72 प्रतिशत हो गया । लेकिन, पूर्व वर्ष 2006-07 के दौरान खर्च हुए व्यय की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान सामाजिक एवं विकास सेवाओं पर (30.53 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओ पर (28.23 प्रतिशत) वृद्धि एवं सामान्य सेवाओं पर (61.58 प्रतिशत) व्यय में वृद्धि हुई।

1.11 गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों आदि को सहायता अनुदान प्रदान करती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् पिछले पांच वर्षों में विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/विद्यालयों को प्रदान की गई सहायता अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार से था:

तालिका 1.13: परिषद् द्वारा सहायता अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र. स.	संस्था का नाम	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
1.	नवयुग विद्यालय समिति	709.68	1010.84	824.54	800.00	716.95
2.	रघुमल आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय सं0-II	14.39	23.51	30.32	25.18	14.29
3.	निर्मल प्राथमिक विद्यालय कोटा हाउस	35.97	25.88	16.60	26.00	12.73
4.	रघुमल कन्या प्राथमिक विद्यालय सं0- I	27.54	40.34	13.90	14.85	25.13

5.	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	0.34	-	8.49	13.00	5.71
6.	सामाजिक एवं सास्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्थान	9.03	5.50	2.40	3.80	7.45
7.	समाज कल्याण समिति	98.27	100.43	0.32	1.58	0.88
8.	पालिका सेवा अधिकारी संस्थान	-	17.71	-	-	-
	कुल	**895.22**	**1224.21**	**896.57**	**884.41**	**783.14**

सहायता अनुदान की राशि वर्ष 2006-07 में 1224.21 लाख रुपये से घटकर वर्ष 2007-08 में 895.22 लाख रुपये हो गई।

जी.एफ.आर. के नियम 212 के अन्तर्गत, विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 12 मास के भीतर संबंधित संस्थान से अनुदान की राशि का उपयोग करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित था । चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व वर्षों के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा जारी अनुदान के संबंध में विभाग ने उपयोग करने का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत विशेष निधि सृजित करने का प्रावधान है । परिषद् ऐसी कई निधियों का रखरखाव कर रही है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.14: आधिक्य एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

क्र. स.	निधि का नाम	1.4.2007 को अथशेष	2007-08 में वृद्धि	कुल	2007-08 के दौरान व्यय	31.3.2008 को शेष राशि
1	ह्रास आरक्षित निधि विद्युत	326.33	20.00	346.33	1.96	344.37
2	ह्रास आरक्षित निधि जल	230.39	10.00	240.39	1.22	239.17
3	ह्रास आरक्षित निधि भवन	324.63	20.00	344.63	-	344.63
4	ह्रास आरक्षित निधि पेंशन एवं उपदान	1047.81	180.00	1227.81	64.90	1162.91
5	करूणामूलक निधि, समाज कल्याण एवं सामान्य भविष्य निधि ब्याज सहित स्टाफ कल्याण निधि	8.35	6.02	14.37	5.39	8.98

6	आरक्षित निधि का विनियमन(विद्युत)	-	5.00	5.00	-	5.00
7	स्थानान्तरित मार्किट निधि	-	1.00	1.00	-	1.00
8	सामान्य निधि (भवन/मार्किट निधि	108.99	55.00	163.99	4.61	159.38
9	सामान्य आरक्षित निधि	(-)660.53	-	(-)660.53	-	(-)660.53
10	गृहकर/निवेश लेखा	(-)0.88	-	(-)0.88	-	(-)0.88

ऑडिट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियॉ की गई:

1. नई दिल्ली नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 54 के अनुसार विशेष निधि की संरचना एवं उससे किया जाने वाला व्यय विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जायेगा । परन्तु ऐसे कोई विनियम ऑडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये।

2. ह्रास आरक्षित निधि पेंशन तथा उपदान निधि शीर्षो के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2008 को समापन शेष 1107.91 करोड़ रुपये था जबकि उपरोक्त विवरण के अनुसार, 1162.91 करोड़ रुपये दिखाए गए । इस प्रकार 55 करोड़ रुपये का अन्तर था । यह पुन: अवलोकित किया गया कि वर्ष 2007-08 के दौरान पेंशन एवं उपदान सहित आधिक्य एवं आरक्षित निधि में 297.02 करोड़ रुपये जोड़े गये । वर्ष के दौरान निधि में जोड़ने का आधार रिकार्ड में नहीं था । इसके अतिरिक्त इस वृद्धि में ब्याज भी सम्मिलित था।

3. गृह कर/निवेश लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2007 को समापन शेष (-) 0.88 करोड़ रुपये था जबकि दिनॉक 1.4.2007 को कोई अथ शेष नहीं लिया गया था।

4. वार्षिक लेखों के जी-4 विवरण में दर्शाए गए ह्रास एवं अन्य आरक्षित निधि के वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के वास्तविक योग का बजट पुस्तिका 2007-08, 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में इन वर्षो के लिए क्रमश: दर्शाये गये वास्तविक योग से अन्तर था जैसाकि निम्न विवरण में दिया गया है :

तालिका 1.15: ह्रास एवं आरक्षित निधि

(रुपये करोड़ में)

बजट पुस्तिका	वर्ष के लिए वास्तविक	साधन एवं उपाय अनुमानों के विवरण-II में ह्रास एवं अन्य निधियों के शीर्ष के अनुसार आंकडे (बजट पुस्तिका)	ह्रास एवं अन्य निधियों की स्थिति (जी-4 वार्षिक लेखों के) विवरण-II ए-2 के अनुसार आंकडे	अंतर
2009-10	2007-08	2925.13	2210.44	714.69
2008-09	2006-07	2781.80	1991.50	790.30
2007-08	2005-06	2421.80	1796.53	625.27

यह अन्तर सामान्य निधि में निवेश के कारण हो सकता है।

1.13 व्यय को किसी खाते में न लेना

वर्ष 2007-08 के दौरान विविध अग्रिमों की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

तालिका 1.16: विविध अग्रिम

(रुपये करोड़ में)

दिनांक 1.4.2007 को अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान किये गये संमजन	दिनांक 31.3.2008 को बकाया शेष
21.30	56.46	6.18	71.58

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आरम्भ में विविध अग्रिमों के अन्तर्गत बकाया शेष 21.30 करोड़ रुपये था । वर्ष के दौरान, 56.46 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अग्रिम स्वीकृत किये गये थे जबकि वर्ष के अन्त तक केवल 6.18 करोड़ रुपये समंजित किए गए थे, जिससे वर्ष के अन्त में शेष बकाया 71.58 करोड़ रुपये था। विविध अग्रिम इतनी बड़ी राशि के रूप में स्वीकृत करने के कारण रिकार्ड में नहीं थे। जी.एफ.आर. 2005 के अनुसार नए अग्रिम केवल पूर्व में लिए गए अग्रिमों को समंजन के पश्चात् प्राप्त किये जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त, अग्रिमों की अवधि न लेखा का हिस्सा थी और न ही विविध अग्रिमों तथा उनके समंजन हेतु कोई ब्राडशीट बनाई गई थी।

1.14 वार्षिक लेखों पर सामान्य टिप्पणियाँ

आडिट द्वारा लेखों की जॉच से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान लेखा पद्धति में कुछ विसंगतियॉ/कमियॉ थी । इन्हें पहले भी वार्षिक आडिट रिपोर्ट तथा आन्तरिक आडिट रिपोर्ट में दिखाया गया था किन्तु विभाग ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये । विसंगतियॉ/कमियॉ निम्न प्रकार से हैं:

1. व्यय स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत होना चाहिए । किन्तु अनेक मामलों में वास्तविक व्यय बजट प्रावधान से अधिक हुआ है। संबंधित लेखा-शीर्ष में व्यय को नियंत्रित रखने की कार्यवाही हेतु रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। तद्नुसार, यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि व्यय पर नियंत्रण करने के लिए कोई प्रक्रिया थी।

2. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ऊर्जा और जल की बिक्री, वाणिज्यिक दुकानों/ईकाइयों को किराये पर देना और खाद तैयार करना व बेचना जैसे वाणिज्यिक कार्यकलापों का संचालन करती है । इन वाणिज्यिक कार्यकलापों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे और इस प्रकार इन कार्यकलापों से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

3. लेखों की वर्तमान पद्धति से वर्ष के प्रारंभ में वसूलनीय करों, शुल्कों अन्य राजस्व लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान समाप्त किये गये बकाया राशि प्रतिबिम्बित नहीं होती है । इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को वर्षवार विघटित राशि के साथ ऐसे सभी शेष बकायों की वास्तविक मात्रा की जानकारी नहीं थी।

4. प्रत्येक वर्ष वार्षिक लेखों में विभिन्न निलम्बित शीर्षो के अंतर्गत अत्यधिक व्यय दिखायाा गया था, जिसे बाद में संमजित नहीं किया गया । वार्षिक लेखों में सस्पेंस लेखों के वर्षानुसार अथशेष, समापन शेष और निलम्बि (सस्पेंस) लेखों का निपटान नहीं दिखाया गया और इस प्रकार निलम्बन शीर्षो के अधीन दिखाए गए अत्यधिक व्यय एवं इसके समंजन को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के वार्षिक लेखे विभिन्न ऋणों, जमा तथा प्रेषित शीर्षो के अथशेष एवं समापन शेष नहीं दर्शाते थे और इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की सही और वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं।

6. बैंक खाते में जमा करवाये गये चैकों, जिनकी राशि खाते में वित्तीय वर्ष में जमा नहीं हुई, का विवरण वार्षिक लेखे के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसी प्रकार वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा जारी चैकों, जो बैंकों में भुगतान के लिये जमा नहीं करवाये गये, का विवरण भी वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं किया गया।

7. 'रोकड़ पुस्तिका' और 'बैंक खाते' के अनुसार अथशेष एवं समापन शेष बजट पुस्तिका 2009-10, में तथा इनमें यदि कोई विसंगति थी तो उस हेतु अपेक्षित वर्णनात्मक स्पष्टीकरण के साथ नहीं दर्शाया गया था।

8. सामान्य निधि से अग्रिमों को उदारता से बार-बार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी और यह सामान्यत: काफी लम्बे समय तक असंमजित रहे । अथशेष एवं समापन शेष तथा वर्ष में किये गये समंजन को दर्शाता विवरण वर्ष अनुसार स्थिति स्पष्ट नहीं करता था।

9. विभाग ने उपकर अधिनियम 1996, के अन्तर्गत उपकर प्रभार वसूल किए, जो कि निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड में 30 दिन के भीतर जमा/प्रेषित करना अपेक्षित था । नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की । परिणामस्वरूप, प्राप्तियॉ उस सीमा से अधिक दिखाई गई।

10. लेखा नियमों के अनुसार माइनस एन्ट्री को अन्तिम लेखे में नहीं दर्शाया जाना चाहिए । यह पाया गया कि निम्न 14 लेखा शीर्षो में, विभाग ने जी-4 विवरण में माइनस एन्ट्रियॉ दर्शायी थी:

तालिका 1.17 : माइनस एन्ट्री

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	राशि
1	सी.15.5 सूचना एवं प्रौद्योगिकी : अन्य प्रभार	(-)9989
2	डी.1.20.1 न.दि.न.पा.परिषद् स्कूलों में योग शिक्षा का प्रारम्भन: वेतन एवं भत्ते	(-)91561
3	डी.2.17.11 (बी) 109 (22) विलिंग्डन क्रीसेंट पर एनपी 2 का प्रतिस्थापन एस डब्ल्यू पाइप के साथ आर.सी. पाइप बदलकर लगाना	(-) 92871
4	डी.2.19.7 मलेरिया रोधी: अन्य प्रभार	(-)377867
5	डी.5 (iii) पालिका पार्किंग : कार्यालय आकस्मिकताएँ	(-)990
6	ई .4.1.264 (25) सब स्टेशन अग्नि शमन पर उच्च दाब/निम्नदाब स्विचगीयर को बदलना एवं संवर्धन	(-)176550
7	ई.4.1.264 (28) सब स्टेशन नं. 3 पर उच्च दाब बोर्ड का संवर्धन	(-)37521
8	ई.4.1.264 (49) जोन-I क्षेत्र में निम्न दाब वितरण प्रणाली का संवर्धन	(-)2916756
9	ई.4.1.264 (56) जोन- I क्षेत्र में निम्न दाब वितरण प्रणाली का संवर्धन	(-)319617
10	ई.11 सामान का क्रय	(-) 24199212
11	जी.1.3.268 (27) टोडरमल रोड पर पैदलपथ का सुधार	(-)8181835
12	जी.1.3.268 (109) सड़क सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के समीप जल निकासी प्रणाली का सुधार	(-)7811
13	एच.1.21 अन्य नगरपालिका कार्य : यात्रा भत्ता	(-)3086
14	एच.2.8.ए.342 रूम कूलरों/डेजर्ट कूलरों को बदलना	(-)383173

1.15 बजट प्रायोजनाओं का विश्लेषण

बजट में तीन प्रकार के ऑकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं: (क) पूर्व वर्ष के वास्तविक (ख) वर्तमान वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये बजट अनुमान । इस भाग में बजट प्रायोजनाओं के संदर्भ में परिषद् के विभिन्न वित्तीय घटकों में अन्तर पर विचार-विमर्श किया गया है।

1.15.1 अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व की वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान का विवरण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.18 : अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	बजट अनुमान पर वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि (+)/कमी (-)	बजट अनुमान पर अधिक (+)/ कमी (-) प्रतिशतता
2007-08	**1162.91**	**1346.60**	**1359.17**	**(+)196.26**	**(+)16.88**
2006-07	1061.79	1120.03	1125.00	(+)63.21	(+)05.95
2005-06	1035.50	1030.83	1049.71	(+) 14.21	(+) 01.37
2004-05	997.54	1060.86	1077.91	(+) 80.37	(+) 08.06
2003-04	885.13	884.99	861.97	(-) 23.16	(-) 02.62

वर्ष 2007-08 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 196.26 करोड़ रुपये अधिक थी। परंतु वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमान के संदर्भ में 12.57 करोड़ रुपये अधिक थी।

वास्तविक प्राप्तियों एवं संशोधित अनुमानों की शीर्षानुसार विस्तृत तुलना करने से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) लेखे के निम्न 6 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत 11.05 लाख रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में प्राप्तियाँ शून्य रही :

तालिका 1.19 : शून्य प्राप्तियाँ

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	बजट अनुमान 2007-08	संशोधित अनुमान 2007-08	वास्तविक 2007-08
1	ए-IV	थियेटर एवं प्रदर्शन कर	-	2.00	शून्य
2	ए-VIII(5)	अस्तबल गौशाला लाइसेंस	0.60	0.60	शून्य
3	ए-VIII (6)	खतरनाक एवं आयुध व्यापार लाइसेंस	0.30	0.30	शून्य
4	डी-VI	पशुबाड़ा	0.50	0.10	शून्य
5	एच-xii	पटरियाँ	-	7.05	शून्य
6	एच-(xx)	अग्निशमन उपकरण	1.00	1.00	शून्य
		कुल	**2.40**	**11.05**	**शून्य**

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में तैयार किये जाते थे, अत: संशोधित अनुमान के विरुद्ध शून्य प्राप्तियाँ त्रुटिपूर्ण बजट इंगित करती हैं।

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के शीर्षानुसार अन्तर के लिए कारण जी-4 विवरण में नहीं दिये गये थे।

(ख) निम्नलिखित 35 लेखा शीर्षों के अंतर्गत संशोधित अनुमानों की तुलना में प्राप्तियों में कमी 1.37 प्रतिशत से 99.50 प्रतिशत के बीच रही। इस के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे:

तालिका 1.20 : प्राप्तियों में कमी

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान 2007-08	संशोधित अनुमान 2007-08	वास्तविक 2007-08	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	*ए-1(अ)* गृहकर के.लो.नि.वि. भवन : चालू	100000	100000	75765	24235	24.24
2	*ए-1(ब) के.लो.नि.वि. भवनों के अलावा गृहकर बकाया*	20000	10000	8909	1091	10.91
3	*ए- V सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क*	250000	250000	136868	113132	45.25
4	*ए- VI (ब) कुत्ता पालने पर कर*	100	50	23	27	54.00
5	*ए- VIII (1) अन्य शुल्क एवं जुर्माना*	3400	3012	1655	1357	45.05
6	*ए- VIII(2) प्लम्बिंग लाइसेंस*	10	50	30	20	40.00
7	*ए- VIII(3) फेरी लगाने का लाइसेंस*	200	100	4	96	96.00
8	*ए- VIII(7) दुकान का लाइसेंस*	300	600	265	335	55.83
9	*ए- VIII(8) प्रतिलिपि शुल्क तथा उपनियमों इत्यादि की बिक्री*	310	400	375	25	6.25
10	*ए- VIII(9) कम्पोजिशन शुल्क*	3000	3000	1765	1235	41.17
11	*ए- VIII(10) सीवर कनेक्शन शुल्क*	14000	7000	3313	3687	52.67
12	*ए- VIII(14)* शव वाहन प्रभार	30	30	4	26	86.67
13	*ए- VIII(16) निरीक्षण शुल्क*	100	200	76	124	62.00
14	सी-iii विविध प्राप्तियॉ श्रम कल्याण विभाग	150	150	106	44	29.33
15	सी-v अवकाश वेतन अंशदान	0	200	168	32	16.00
16	सी-vii न.दि.न.पा.परिषद् विभागीय जलपान गृह से प्राप्तियॉ	500	1600	1317	283	17.69
17	सी-viii दक्ष से प्राप्तियॉ	12	10	3	7	70.00
18	डी-I (ब) बस शुल्क सीनियर	300	300	159	141	47.00

	सै0/प्राथमिक स्कूल					
19	डी-I (स) (iii) नर्सरी स्कूल से फीस	0	80	4	76	95.00
20	डी-I (स) (xi) गृह कल्याण केन्द्र	6000	1400	431	969	69.21
21	डी-III जन स्वास्थ्य	17500	22800	15478	7322	32.11
22	डी-IV पशुपालन	900	50	24	26	52.00
23	डी-VIII खाद संयंत्र से प्राप्तियॉ	2000	200	1	199	99.50
24	ई-iii नये कनेक्शन/पुनः कनेक्शन शुल्क	3800	3800	1593	2207	58.08
25	एच-I पूर्ण हुई परियोजनाओं से किराया/लाइसेंस शुल्क	1100000	1160000	715780	444220	38.29
26	एच-iii टैक्सी बूथ	2500	1000	919	81	8.10
27	एच- vii पार्क तथा खेल के मैदान का आरक्षण	2000	2000	1488	512	25.60
28	एच-viii क्योस्क	12700	12700	12365	335	2.64
29	एच-ix सड़क के किनारे पेड़ तथा उद्यान उत्पादों की बिक्री	200	500	257	243	48.60
30	एच-xiv कार पार्किंग	120000	120000	105017	14983	12.49
31	एच-xvii विद्युत खम्बों पर विज्ञापन हेतु प्रदर्शन प्रभार	50000	20000	13276	6724	33.62
32	एच-xix भण्डारण प्रभार (सिविल स्टोर)	1600	1600	763	837	52.31
33	एच-xxiv (ब) सम्पदा का निदेशालय (एमओयूडी)	0	5000	3164	1836	36.72
34	I कर्मचारियों को अग्रिम	16340	11990	5681	6309	52.62
35	J-I गैर योजित योजना से सहायता (राजस्व)	350780	355860	350984	4876	1.37
	योग	**2078732**	**2095682**	**1458030**	**637652**	**30.43**

इन 35 लेखा शीर्षों में से, 14 शीर्षों के मामले में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी थी। लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ए 1(ए) गृहकर-वर्तमान ए- V सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क, एच-I पूर्ण हो चुकी

परियोजनाओं से किराया शुल्क लाइसेंस और एच XIV कार पार्किंग जैसे प्रत्येक मामले में कमी 1.00 करोड़ रुपये से अधिक है।

तालिका-1.21 : प्राप्तियों की अधिक वसूली

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य	आधिक्य की प्रतिशतता
1	*ए-1(अ) सरकारी* के.लो.नि.वि. भवन : बकाया	10000	10000	10868	868	8.68
2	*ए-1(ब) के.लो.नि.वि. भवन : वर्तमान*	30000	40000	50042	10042	25.11
3	*ए- 1(स) निजी सम्पतियाँ : वर्तमान*	1000000	1100000	1468084	368084	33.46
4	*ए- 111 विज्ञापन कर*	0	500	1179	679	135.80
5	*ए- VII(क) प्रस्तुतिकरण शुल्क प्लान*	5000	3000	3897	897	29.90
6	*ए- VII (ख)बेटरमैंट प्रभार*	2700	4500	4926	426	9.47
7	*ए- VII (ग) चट्टा प्रभार*	75	12	91	79	658.33
8	*ए- VII (घ) भवन कर*	850	900	913	13	1.44
9	*ए- VII (ड.) अतिरिक्त एफ.ए.आर. पर वसूली*	1300	500	888	388	77.60
10	*ए- VIII (15) नक्शा तैयार करने का शुल्क*	20	10	18	8	80.00
11	*बी- ii अग्रिम पर ब्याज*	1625	1720	1920	200	11.63
12	सी- *VI* पेंशन अंशदान	0	400	429	29	7.25
13	डी- *II* एक्स रे, लैब टैस्ट तथा जॉच प्रभार	50	50	1207	1157	2314.00
14	डी- IX *(क)* तालकटोरा स्टेडियम	0	2094	2139	45	2.15
15	डी- IX *(ख)* इण्डोर स्टेडियम (शिवाजी)	0	250	318	68	27.20
16	डी- XIII पालिका पार्किंग से प्राप्तियाँ	10000	10500	11155	655	6.24
17	ई-(ii) विद्युत मीटर किराया	12000	12000	12649	649	5.41
18	ई-(*V*) भण्डारण प्रभारों की वसूली	3000	4000	5479	1479	36.98
19	एफ-1 जल की बिक्री	200000	200000	212200	12200	6.10
20	एफ- *II* मीटर किराया	1300	1300	1384	84	6.46
21	एच-*IV* बस क्यू शैल्टर	800	13900	16694	2794	20.10
22	एच- X तहबाजारी	7500	7500	8065	565	7.53

23	एच-xi अतिक्रमण को हटाने की लागत की वसूली	4500	4000	4435	435	10.88
24	एच-xiii सड़कों इत्यादि पर विभागीय प्रभार	4000	4766	13755	8989	188.61
25	एच-xiii (क) जमा कार्यो पर विभागीय प्रभार	1200	150	996	846	564.00
26	एच-xv अन्य प्राप्तियाँ	7300	13343	20162	6819	51.11
27	एच-xxiv (क) भू. एवं वि. का. (एसटीसी)	0	5000	36180	31180	623.60
28	के-(ii) जमा कार्य : सिविल अभि.	3100	17000	45398	28398	167.05
29	के-(iii) जमा कार्य : विद्युत अभि.	47900	47900	80343	32443	67.73
	योग	**1354220**	**1505295**	**2015814**	**510519**	**33.91**

सात मामलों में संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियाँ सौ प्रतिशत से अधिक थी। बजट अनुमानों में विचलन अप्रत्याशित एवं अनियमित बाह्य घटनाओं अथवा यथार्थ(नियमपूर्वक) के अभाव के कारण हो सकता है । जैसाकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में तैयार किये गए हैं, उपरोक्त तालिका में वर्णित संशोधित अनुमानों में ऐसे बड़े विचलनों के कारणों को विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है ।

1.15.2 अनुमान की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

पिछले पॉच वर्षो के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी:-

तालिका 1.22 : अनुमानों की तुलना में कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	बजट अनुमानों से अधिक कर राजस्व की प्राप्ति में बढ़ोतरी (+)/कमी (-)	बजट अनुमान से वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2007-08	**196.81**	**227.89**	**223.10**	**(+)26.29**	**(+)13.36**
2006-07	168.77	194.28	196.47	(+)27.70	(+)16.42
2005-06	148.60	157.73	173.07	(+) 24.47	(+) 16.47
2004-05	132.02	156.36	172.27	(+) 40.25	(+) 30.49
2003-04	126.34	134.33	142.31	(+) 15.97	(+) 12.64

बजट अनुमानों के संदर्भ में वर्ष 2007-08 के दौरान कर राजस्व में वास्तविक प्राप्ति में 13.36 प्रतिशत की वृद्धि थी ।

1.15.3 गैर-कर राजस्व की बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली

पिछले पांच वर्षो में बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली निम्न प्रकार से थी:

तालिका 1.23 : बजट अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व की वास्तविक वसूली

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर-कर राजस्व	बजट अनुमान से अधिक (+)/कम (-) प्राप्त गैर- कर राजस्व	बजट अनुमान में वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
2007-08	**903.52**	**1037.67**	**1055.52**	**(+)152.00**	**(+)16.82**
2006-07	853.10	879.68	883.73	(+)30.63	(+)3.59
2005-06	827.24	845.57	842.59	(+) 15.35	(+)01.86
2004-05	833.41	857.21	860.85	(+) 27.44	(+) 03.29
2003-04	728-16	719.76	690.49	(-) 37.67	(-) 05.17

वर्ष 2007-08 के दौरान गैर-कर राजस्व बजट अनुमान से 152.00 करोड़ रुपये अधिक था।

1.15.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय

सभी पांच वर्षो में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमानों से निरंतर कम रहा और बजट अनुमान से भी कम रहा ।

तालिका 1.24 : संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय			आधिक्य (+)/बचत (-)		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
2007-08	**30.30**	**1132.93**	**1163.23**	**45.50**	**1299.18**	**1344.68**	**39.76**	**1319.70**	**1359.46**	**(-)5.74 *12.62**	**(+)20.52 *1.58**	**(+)14.78 *1.10**
2006-07	22.20	1038.24	1060.44	17.35	1101.40	1118.75	14.47	1003.22	1017.69	(-)2.88 *16.60	(-)98.18 *8.91	(-)101.06 *9.03
2005-06	17.40	1017.48	1034.88	13.31	1015.58	1028.89	10.37	960.54	970.91	(-)2.94 *22.09	(-) 55.04 *5.42	(-)57.98 *5.64
2004-05	18.90	977.20	996.10	17.19	1043.96	1061.15	11.64	954.85	966.49	(-)5.55 *32.29	(-) 89.11 *8.54	(-)94.66 *8.92
2003-04	16.84	867.42	884.26	20.14	863.64	883.78	15.80	785.68	801.48	(-)4.34 *21.55	(-) 77.96 *9.03	(-) 82.03 *9.31

* आधिक्य/बचत का प्रतिशत इंगित करता है।

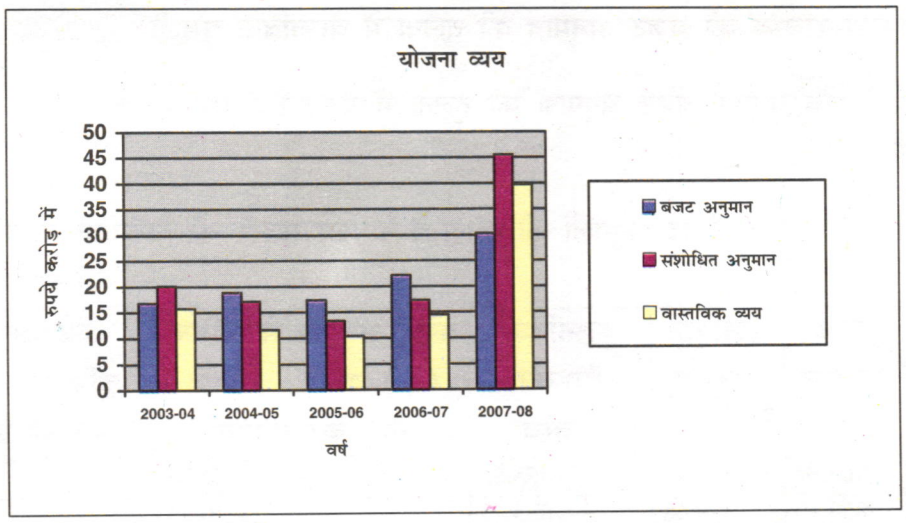

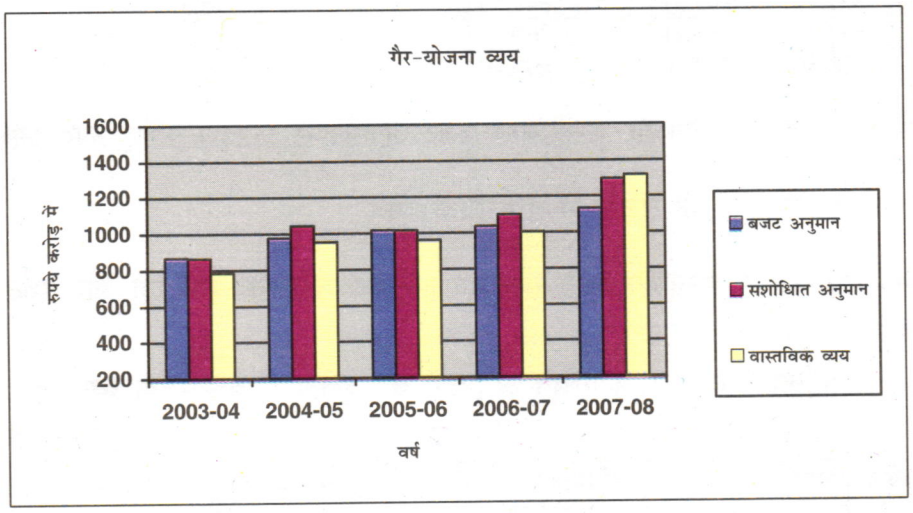

वर्ष 2007-08 हेतु व्यय 1344.68 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 1359.46 करोड़ रुपये था । इस प्रकार व्यय 14.78 करोड़ रुपये अधिक था । आंकड़ों का विश्लेषण इंगित करता है कि वर्ष 2007-08 हेतु व्यय कम आँका गया ।

1.15.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

वास्तविक व्यय वर्ष 2007-08 के दौरान निम्न लेखा शीर्षों में वृहद् बचत हुई थी:-

तलिका 1.25: संशोधित अनुमानों की तुलना में किया गया कम व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तिविक व्यय	बचत
			2007-08	2007-08	
1	सी	प्रशासनिक विभाग	253.75	242.19	11.56
2	डी.1	शिक्षा	66.80	60.45	6.35

3	डी.2	चिकित्सा एंव जन-स्वास्थ्य	167.87	138.38	29.49
4	डी.3	पशु पालन	0.84	0.64	0.20
5	डी.4.1	तरण-ताल	0.64	0.36	0.28
6	डी.4.3	शव-वाहन	0.15	0.00	0.15
7	डी.4.4	बगीचे, पार्क व फव्वारें	27.03	21.45	5.58
8	डी.4.5	पशुबाड़ा	0.83	0.04	0.79
9	डी.4.6	समाज कल्याण	1.73	0.66	1.07
10	डी.4.7	अनुदान सहायता	1.14	1.07	0.07
11	डी.4.10	धोबीघाट	0.32	0.18	0.14
12	डी.4.11	झुग्गी-झोपड़ी समूहों में सुधार	2.00	1.98	0.02
13	डी.4.12	आवास	6.67	4.49	2.18
14	डी.4.13	परिवार, स्वास्थ्य व बच्चे	0.21	0.10	0.11
15	डी.5	पालिका पार्किंग	0.90	0.65	0.25
16	डी.8	बारात घर/ रैन बसेरे	1.12	0.27	0.85
17	एफ	जल आपूर्ति	66.77	63.55	3.22
18	जी	सड़कें	92.03	75.66	16.37
19	एच.1	सिविल इंजीनियरिंग विभाग	175.17	160.16	15.01
20	एच.2	विद्युत इंजीनियरिंग विभाग	21.20	16.77	4.43
21	एच.4	विधायक निर्वाचन निधि	5.05	4.90	0.15
22	एच.6	परामर्श/ मूल्यांकन अध्ययन	1.25	0.45	0.80
23	आई	कर्मचारियों के लिए अग्रिम राशि	1.02	0.44	0.58
		योग	**894.49**	**794.84**	**99.65**

1.15.6 संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय

वर्ष 2007-08 के दौरान 7 लेखा शीर्षो में संशोधित अनुमानों की तुलना के मुकाबले व्यय अधिक हुआ।

तालिका 1.26: संशोधित अनुमानों की तुलना में किया गया अधिक व्यय

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2007-08	वास्तविक व्यय 2007-08	अधिक व्यय
1	ए	कर व शुल्कों का संग्रहण	1.69	1.84	0.15
2	डी.4.2	सामुदायिक व बहुद्देश्यीय हाल	3.77	3.80	0.03
3	डी.7	इंडोर स्टेडियम	0.95	1.01	0.06

4	ई	विद्युत आपूर्ति	436.89	547.39	110.50
5	एच.3	वास्तुविद विभाग	1.58	1.92	0.34
6	जे	बाह्य सहायता	0.00	0.20	0.20
7	के	जमा कार्य	5.31	8.46	3.15
		योग	**450.19**	**564.62**	**114.43**

1.15.7 वेतन व भत्तों के विरूद्ध शून्य व्यय

निम्नलिखित 10 मामलों में वेतन एवं भत्तों के लिए संशोधित अनुमान बनाया गया था किन्तु वर्ष 2007-08 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया।

तालिका 1.27 : वेतन एवं भत्तों के विरूद्ध शून्य व्यय

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सी.16.1 इंजीनियर-इन-चीफ: वेतन एंव भत्ते।	557	156	0
2	डी.1.7.6 ए(1) जन संख्या के लिए कर्मचारी: व सामग्री वेतन व भत्ते।	1091	850	0
3	डी.1.7.7.1 कार्यानुभव कार्यक्रम व हाबी केन्द्र: वेतन व भत्ते।	306	141	0
4	डी.1.8.1 सार्वजनिक वाचनालय वेतन व भत्ते।	154	173	0
5	डी.1.19.1 समाजकल्याण कार्यकर्ता-वेतन व भत्ते।	2336	1775	0
6	डी.2.2.12.1 रक्त कैम्प की स्थापना: वेतन व भत्ते।	2185	2204	0
7	डी.2.11.1 जन्म-मृत्यु आंकड़ों का संग्रहण: वेतन व भत्ते।	1908	2012	0
8	डी.2.20.1 आवारा कुत्तों का जन्म नियंत्रण: वेतन व भत्ते।	872	921	0
9	डी.4.3.1 शव वाहन सेवा: वेतन व भत्ते।	1467	1504	0
10	डी.4.5.1 पशुबाड़ा: वेतन व भत्ते।	7241	7924	0

रिकार्ड में उक्त हेतु कारण नहीं दिये गये थे ।

1.15.8 योजना

कुल व्यय की तुलना में योजना व्यय का प्रतिशत बहुत कम रहा। वर्ष 2007-08 के दौरान योजना शीर्षों के अन्तर्गत 30.30 करोड़ रुपये बजट अनुमान की तुलना में 39.76 करोड़ रु. व्यय हुए अर्थात बजट अनुमानों से 9.46 करोड़ रुपये अधिक व्यय हुए जोकि 31.22 प्रतिशत अधिक है।

संशोधित अनुमान के संदर्भ में वास्तविक व्यय की तुलना से यह प्रकट हुआ कि:-

(क) एक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत 5.00 लाख रुपये की राशि निम्नलिखित रूप में पूर्ण रूप से अनुपयोगी रही:

तालिका 1.28: शून्य व्यय वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	लेखाशीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान 2007-08	वास्तविक व्यय 2007-08
1	डी 2.11.5	जन्म-मृत्यु आंकड़ा इकाई सशक्त करना (राजस्व)	5.00	शून्य

(ख) निम्न लेखाशीर्षो के अंतर्गत, संशोधित अनुमानों के संदर्भ में बचत 2.99 प्रतिशत से 99.30 प्रतिशत के मध्य रही।

तालिका 1.29: अत्यधिक बचत वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	सेवाएँ/लेखाशीर्ष	संशोधित अनुमान 2007-08	वास्तविक व्यय 2007-08	बचत	बचत प्रतिशत में
1	डी. 1.10.9 (i): पोषण	70.00	36.92	33.08	47.26
2	डी.1.19.4: शिक्षा: छात्रवृत्तियां एंव अन्य प्रोत्साहन	6.00	2.80	3.20	53.33
3	जी.1.3 कनाट प्लेस का उन्नयन (272 ए)	435.00	3.06	431.94	99.30
4	जी.1.3 न.दि.न.पा.परिषद् क्षेत्र में गलियों व मार्गो का सौन्दर्यकरण (272 बी)	50.00	41.77	8.23	16.46
5	जी.1.3 मार्ग संकेतकों का संस्थापन (272 सी)	50.00	17.39	32.61	65.22
6	जी.1.3 शिरोपरि पुल का निर्माण (272 डी)	40.00	4.36	35.64	89.10
7	एच.1.8 जनपथ सड़क पटरी मार्किट का विकास (नई योजना)	125.00	113.03	11.97	9.58
8	एच.4 विधायक निर्वाचन क्षेत्र निधि	505.00	489.88	15.12	2.99

(ग) निम्न पाँच लेखाशीर्षो के अंतर्गत संशोधित अनुमानों से 13.38 प्रतिशत से 100.00 प्रतिशत अधिक व्यय हुआ था।

तालिका 1.30: अधिक व्यय वाले लेखाशीर्ष

(रुपये लाख मे)

क्र. सं.	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अधिक्य	अधिक्य प्रतिशत में
1	डी.1.4.5 (iii) निशुल्क वर्दियाँ	49.00	52.20	3.20	6.53

2	डी.2.2.ए.4 (74) किचनर रोड पर 50 बिस्तर वाले प्रसूती केन्द्र का निर्माण।	40.00	45.35	5.35	13.38
3	डी.2.15.8 चेस्ट क्लीनिक की स्थापना व सशक्त करना (राजस्व)	0.00	3.09	3.09	100.00
4	डी.2.21.7 स्वास्थ्य शिक्षा इकाई को सशक्त करना (राजस्व)	10.00	12.12	2.12	21.20
5	एच.1.8 (301) (1) गोल मार्किट गोल चौराहे को पुनरूद्धार	0.00	15.28	15.28	100.00
	योग	**99.00**	**128.04**	**29.04**	**29.33**

रिकार्ड में संशोधित अनुमानों से ऐसे अत्यधिक विचलन के कारण उपलब्ध नहीं थे।

1.15.9 गैर- योजना

वर्ष 2007-08 के दौरान 1299.18 करोड़ रुपये संशोधित अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय 1319.70 करोड़ रुपये था। इस प्रकार कुल अधिक व्यय 20.52 करोड़ रुपये था अर्थात 1.58 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमानों के संदर्भ में वास्तविक व्यय के शीर्षानुसार तुलनात्मक विवरण से निम्न प्रकार ज्ञात हुआ:

(क) कुछ लेखा शीर्षो के अंतर्गत संशोधित अनुमान का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। एक लाख रुपये से अधिक संशोधित अनुमानों वाले 96 मामलों का विवरण अनुलग्नक- II में दिया गया है।

(ख) 35 मामलों में बजट अनुमानों में कोई प्रावधान नहीं था । तथापि, संशोधित अनुमानों में प्रावधान किये गये थे । परंतु कुछ भी व्यय नहीं हुआ। इनका विवरण अनुलग्नक- III में दिया गया है।

(ग) बजट अनुमानों के 114 लेखा शीर्षो के अन्तर्गत बचत की मात्रा 50 प्रतिशत से 99.83 प्रतिशत के मध्य रही। विवरण अनुलग्नक- IV में प्रस्तुत है।

(घ) 102 लेखा शीर्षो के अंतर्गत बजट प्रावधानों से अधिक व्यय हुआ है। संशोधित अनुमानों से अधिक व्यय की प्रतिशतता 0.88 प्रतिशत से 264605.00 प्रतिशत के मध्य थी । लेखा शीर्ष ई. 2.1. के अंतर्गत 5.00 लाख रुपये के संशोधित अनुमानों के विरूद्ध 13235.25 लाख रुपये (132.35 करोड़ रुपये) की राशि व्यय हुआ था । विद्युत/जल प्रभारों से संबंधित बिलों के कम्प्यूटरीकृत हेतु भुगतान के लिए संशोधित अनुमान से 264605 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया। वर्ष 2007-08 के दौरान लेखा शीर्ष डी.1.1.11. एल.टी.सी. के अंतर्गत संशोधित अनुमान 2.50 लाख रुपये की तुलना में 331.43 लाख रुपये (3.31 करोड़ रुपये) का व्यय हुआ था । संशोधित अनुमानों के संदर्भ में आधिक्य व्यय की प्रतिशतता 13157.20 प्रतिशत निकाली गई ।

रखरखाव कार्यों के लेखा शीर्ष एफ-5 के अन्तर्गत 0.65 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के सापेक्ष 6.97 करोड़ रुपये का व्यय हुआ जोकि संशोधित अनुमानों के संदर्भ में 971.77 प्रतिशत अधिक निकाला गया। एक लाख रुपये से अधिक वास्तविक व्यय वाले 67 शीर्षों का विवरण अनुलग्नक-V में दिया गया हैं।

(ड़) 65 लेखा शीर्षों के अंतर्गत व्यय बिना किसी संशोधित बजट प्रावधानों के खर्च किया गया था। 65 लेखा शीर्षों का विवरण अनुलग्नक- VI में प्रस्तुत है।

संशोधित अनुमानों में ऐसे व्यापक विचलन के कारण रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थे।

1.16 व्यय की अत्याधिकता

1.16.1 व्यय की अत्याधिकता

सामान्य वित्त अधिनियम के नियम 56(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के विशेषकर आखिरी माह में अत्याधिक व्यय को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा और उससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष के मार्च माह में एवं अन्तिम तिमाही में बहुत व्यय किया गया । कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं:-

तालिका 1.31 : मार्च मास में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2005-2006			2006-2007			2007-2008		
	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	मार्च के दौरान व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
जल आपूर्ति	34.74	9.19	26.45	60.68	14.94	24.62	63.55	18.15	28.56
सड़कें (सिविल एवं विद्युत)	14.67	2.98	20.31	33.39	8.85	26.50	75.66	11.03	14.58
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	6.12	0.67	10.95	6.36	1.10	17.30	8.46	2.12	25.06

तालिका-1.32 : वर्ष के अंतिम त्रैमासिक में व्यय की अत्याधिकता

(रुपये करोड़ में)

विभाग	2005-06			2006-07			2007-08		
	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय की प्रतिशतता
जलापूर्ति	34.74	19.24	55.38	60.68	32.53	53.61	63.55	26.42	41.57
सड़कें (सिविल एवं विद्युत)	14.67	5.95	40.56	33.39	16.62	49.78	75.66	24.92	32.94
विभिन्न विभागों के जमा कार्य	6.12	1.58	25.82	6.36	3.00	47.17	8.46	4.48	52.96

1.17 ऑडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.17.1 स्थानीय आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के प्रत्येक विभाग, अनुमान कार्यालय और सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान का आडिट मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किया जाता है । आडिट के दौरान की गई आडिट टिप्पणियों और आडिट के दौरान उत्तर न दिये गये/निपटान न कराई गई टिप्पणियों को स्थानीय आडिट रिपोर्टों के माध्यम से विभागाध्यक्षों/कार्यालय-प्रमुखों को भेजा जाता है । विभागाध्याओं/कार्यालय प्रमुखों को स्थानीय आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर देना अपेक्षित होता है। 31 मार्च, 2008 तक अनुपालन न करने के कारण 957 स्थानीय आडिट रिर्पोटों में 4711 आडिट पैरा लम्बित थे ।

31 मार्च 2008 को विभाग अनुसार लम्बित/बकाया आडिट पैरों का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 1.33 : विभाग अनुसार स्थानीय आडिट रिपोर्ट के बकाया पैरों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिनांक 31 मार्च 2008 तक बकाया पैरों की संख्या
1	लेखा	273
2	वास्तुविद् व पर्यावरण	80
3	सिविल इंजीनियरिंग	892
4	वाणिज्यिक	73
5	शिक्षा	689
6	विद्युत	868

7	प्रवर्तन	77
8	सम्पदा	130
9	अग्नि रखरखाव	66
10	सामान्य प्रशासन	145
11	चिकित्सा सेवाएँ/जन स्वास्थ्य	393
12	उद्यान	84
13	सम्पत्ति कर	101
14	सूचना प्रोद्योगिकी	29
15	विधि	19
16	कार्मिक	281
17	जन सम्पर्क	67
18	सुरक्षा	68
19	कल्याण	376
	कुल	**4711**

अनुपालन में सुधार लाने के लिए परिषद् के दिनांक 3 मार्च 2005 के प्रस्ताव द्वारा स्थानीय आडिट रिपोर्ट के पैरों के शीघ्र निपटान के लिए एक पद्धति आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत बकाया पैरों के निपटान के लिए आडिट, वित्त और सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों को मिला कर एक तद्र्थ समिति गठित की गई है । वर्ष 2007-08 के दौरान 43 पैरों का निपटान किया गया था।

1.17.2 वार्षिक आडिट रिपोर्ट

परिषद् ने दिनांक 3 मार्च 2005 के प्रस्ताव द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुख्य लेखा परीक्षक की वार्षिक आडिट रिपोर्ट पर विचार कर अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये आडिट हेतु स्थायी समिति के गठन हेतु अनुमोदन प्रदान किया। वर्ष 2008-09 के दौरान तीन बैठकें हुई जिसमें आडिट हेतु स्थायी समिति ने बकाया पैराग्राफों में से 68 पैराग्राफों के संबंध में विभाग के प्रत्युत्तर पर विचार किया, 13 पैराग्राफ निपटाए गए तथा संबंधित विभागों को उचित दिशा-निर्देश जारी किये ।

फलस्वरूप, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वार्षिक आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित बकाया पैरों पर की गई कार्यवाही की टिप्पणी एवं समीक्षा की स्थिति दिनांक 31 मार्च 2009 को निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.34: वार्षिक आडिट रिपोर्ट में सम्मिलित पैराग्राफ तथा बकाया

31 मार्च को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट	रिपोर्ट में सम्मिलित पैरों की संख्या	बकाया पैरों की संख्या
1997	124	41
1999	98	64
2000	45	23
2001	42	19
2002	38	12
2003	36	13
2004	36	19
2005	37	22
2006	42	29
2007	42	34
2008 (समीक्षा)	4	4
योग	**544**	**280**

लेखा
विभाग

अध्याय-II : लेखा विभाग

2.1 अधिक्य निधि के निवेश पर 94.27 लाख रुपये के ब्याज की हानि

वर्ष 2006-07 और 2007-08 में विभाग द्वारा अधिक्य निधि को निवेश न करने/विलम्ब से निवेश करने के कारण न.दि.न.पा.परिषद् को कम ब्याज प्राप्ति के कारण 94.27 लाख रुपये की हानि हुई ।

परिषद् द्वारा अधिक्य निधि के निवेश के लिए बनाए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्य की मांग व अन्य प्रत्याशित मॉग के अनुसार, नकद प्रवाह अनुमान के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े में उपलब्ध अधिक्य निवेश योग्य राशि का आकलन किया जाना चाहिए । तद्नुसार, निवेश समिति द्वारा हर पन्द्रह दिन के पश्चात् प्रत्येक मास की 15 व 30 तारीख को प्रत्याशित नकद प्राप्ति एवं व्यय के आधार पर निवेशीय आधिक्य निधि का निर्धारण किया जाता है। परंतु दिशा-निर्देशों में यह उपबन्धित नहीं है कि पखवाडे के प्रारम्भ होने के पश्चात् किस तिथि तक प्रत्याशित आय-व्यय का विवरण तैयार किया जाये तथा अधिक्य राशि के लिए निवेश समिति की बैठक कब की जाये । अधिक्य निधि के निवेश में विलम्ब के कारण ब्याज की हानि से बचने के लिए यह अनिवार्य है कि नकदी की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण हर पन्द्रह दिन के पश्चात् समय पर तैयार कर लिया जाए और प्रत्येक पखवाड़े की शुरूआत में निवेश समिति की बैठक भी तत्काल आयोजित की जाए।

वर्ष 2006-07 व 2007-08 के लिए निवेश अनुभाग के लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि निवेश न करने/विलम्ब से निवेश करने के कारण, कम ब्याज राशि प्राप्त होने के कारण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को निम्न विवरण अनुसार 94.27 लाख रुपये की हानि हुई:

(क) अधिक्य निधि के निवेश में विलम्ब होने के कारण 77.14 लाख रुपये की ब्याज की हानि

यह पाया गया था कि कुछ मामलों में निवेश समिति की बैठक तत्काल आयोजित न होने के कारण अधिक्य राशि के निवेश में बेवजह विलम्ब हुआ व तदुपरांत निम्न विवरणानुसार ब्याज की हानि हुई:-

पखवाड़ा प्रारंभ	प्रत्याशित प्राप्त/व्यय होने वाली राशि का विवरण बनाने की तिथि	निवेश समिति की बैठक की तिथि	निवेश राशि (रुपये करोड़ में)	निवेश की तिथि	पखवाड़ा शुरू होने के 5 दिन के बाद निवेश में विलम्ब	ब्याज दर (प्रतिशत में)	ब्याज हानि (रुपये में)
01.05.06	03.05.06	05.05.06	10.00	08.05.06	3 दिन	8.37	68795
	03.05.06	11.05.06	95.00	11.05.06	6 दिन	8.05	1257123

15.06.06	01.06.06	05.06.06	5.00	06.06.06	1 दिन	8.25	11301
16.06.06	19.06.06	21.06.06	10.00	22.06.06	2 दिन	8.25	74092
01.11.06	01.11.06	08.11.06	220.00	09.11.06	4 दिन	8.75	2109589
16.11.06	16.11.06	22.11.06	17.00	23.11.06	3 दिन	8.71	121701
	16.11.06		33.00	23.11.06	3 दिन	8.75	237329
01.01.07	02.01.07	11.01.07	20.00	12.01.07	7 दिन	9.45	362466
16.01.07	16.01.07	23.01.07	30.00	23.01.07	3 दिन	9.60	236712
16.03.07	15.03.07	19.03.07	50.00	21.03.07	1 दिन	11.36	155616
16.04.07	16.04.07	20.04.07	100.00	21.04.07	1 दिन	10.50	287671
	16.04.07		100.00	21.04.07	1 दिन	10.85	297260
01.09.07	03.09.07	06.09.07	65.00	06.09.07	1 दिन	9.75	173630
01.10.07	01.10.07	09.10.07	115.00	09.10.07	4 दिन	9.50	1197260
16.11.07	16.11.07	21.11.07	10.00	21.11.07	1 दिन	9.50	26027
03.12.07	03.12.07	10.12.07	50.00	10.12.07	5 दिन	9.50	650685
01.02.08	01.02.08	06.02.08	45.00	06.02.08	1 दिन	9.30	114658
01.03.08	03.03.08	07.03.08	60.00	07.03.08	2 दिन	10.10	332055
योग							**7713970**

इस पर (दिसम्बर 2008) इंगित करने पर, मुख्य लेखा अधिकारी ने (मई 2009) बताया कि ब्याज दरें आमंत्रित करने व खोलने तथा निवेश के लिए उपलब्ध अधिक्य निधि के बारे में निर्णय लेने में कम से कम दो दिन तक का समय लगता है । इसलिए पखवाड़े के पहले ही दिन निवेश करना संभव नहीं है ।

मुख्य लेखा अधिकारी से प्राप्त उत्तर पर इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि पखवाड़ा शुरू होने के पश्चात् 5 दिन दिए जाने के बावजूद, अधिक्य निधि के निर्धारण एवं निवेश में एक से सात दिन का विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अनुसार 77.14 लाख रुपये के ब्याज हानि हुई।

इस प्रकार विभाग द्वारा अधिक्य राशि का तत्काल निवेश न किये जाने के परिणामस्वरूप 77.14 लाख रुपये की ब्याज राशि की हानि हुई ।

(ख) अधिक्य राशि का निवेश न होने के कारण 17.13 लाख रुपये के ब्याज की हानि

यह भी पाया गया था कि 16 मई 2006 से 31 मई 2006, 1 अगस्त 2006 से 15 अगस्त 2006, 1 सितम्बर 2006 से 15 सितम्बर 2006 और 16 सितम्बर 2006 से 30 सितम्बर 2006 के पखवाड़ों में निवेश समिति की बैठक नहीं हुई। 16 मई 2006 और 1 सितम्बर 2006 को प्रारम्भ हुए पखवाड़ों में अधिक्य निधि उपलब्ध थी जिसे इस अवधि में निवेश नहीं किया जा सका, जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार 17.13 लाख रुपये के ब्याज राशि की हानि हुई:-

अवधि	रोकड़ पुस्तिका में अधशेष (रुपये करोड़ में)	सावधिक जमा की परिपक्वता (रुपये करोड़ में)	प्रत्याशित व्यय (रुपये करोड़ में)	न्यूनतम निवेश योग्य अधिक्य (रुपये करोड़ में)*	ब्याज दर (प्रतिशत)	10 दिन में ब्याज हानि (रुपये में)
16.5.06 से 31.5.06	92.47	21.89	47.46	63.90	8.05	1409301
1.9.06 से 15.9.06	9.06	14.35	6.99	13.42	8.26	303696
योग						**1712997**

* आरक्षित अधिक्य के रूप में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के पश्चात्

इस पर (दिसम्बर 2008) इंगित करने पर मुख्य लेखा अधिकारी ने बताया (मई 2009) कि निवेश की जाने वाली राशि का निर्धारण पखवाड़े के दौरान प्रत्याशित प्राप्त व व्यय होने वाली राशि के आधार पर किया जाता है और पखवाड़े के दौरान वास्तविक रूप से उपलब्ध पूर्ण राशि को निवेश करना संभव नहीं है ।

यह भी पता चला था कि पखवाड़े के प्रारंभ में रोकड़ पुस्तिका के अधशेष, सावधि जमा की परिपक्वता और उस पखवाड़े में आंकलित किये बिना प्रत्याशित व्यय को आंकलित करते हुए 3 करोड़ रुपये की अधिक्य आरक्षित निधि के प्रावधान के बावजूद 17.13 लाख रुपये के ब्याज की राशि के दो मामले उपरोक्त तालिका में दिये गये विवरणानुसार हानि हुई।

इस प्रकार न्यूनतम निवेश योग्य राशि को निवेश न करने के कारण 17.13 लाख रुपये ब्याज राशि की हानि हुई।

अतः यह संस्तुति की जाती है कि उचित समय-सारिणी तय की जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से उपबन्धित हो कि राशि का विवरण तैयार करने, निवेश समिति की बैठक करने और अधिक्य राशि के निवेश के लिए यह तिथि होगी तथा पद्धति यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाये जिससे समय सारिणी का गंभीरता से अनुपालन करना सुनिश्चित हो ताकि निवेश में विलम्ब तथा न.दि.न.पा. परिषद् को ब्याज की हानि होने से बचाया जा सके।

मामला विभाग को (जुलाई 2009) भेजा गया था, उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत (सितम्बर 2009) था।

2.2 वर्तमान ब्याज की मुख्य दरों पर निधियों के सूचीबद्ध न होने के कारण ब्याज की हानि

न.दि.न.पा.परिषद् ने दिसम्बर 2003 से अक्टूबर 2005 के मध्य 5.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष ब्याज की दरों पर भारतीय स्टेट बैंक में निवेश किया। भारतीय स्टेट बैंक ने नवम्बर 2005 में निवेश की 6.85 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर प्रस्तुत की थी। यद्यपि, निवेश के परिपक्व होने से पूर्व 0.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि कम करके नगद वापस प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध थी, विभाग द्वारा अपने निवेशों को पुनः सूचीबद्ध न करने के फलस्वरूप 380.52 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई।

परिषद् के प्रस्ताव सं. 6(डी-17) दिनांक 31 अक्टूबर 2003 के अनुसार, पेंशन निधि के 400 करोड़ रुपये जमा होने तक न.दि.न.पा.परिषद् की निवेश की जाने वाली निधि का 50 प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक में निवेश किया जाना था और उसके बाद सूचीबद्ध बैंकों में, जो सबसे अधिक ब्याज देने की पेशकश करेंगे, में निवेश किया जाना था। यह नीति परिषद् द्वारा प्रस्ताव सं. 2(डी-10) दिनांक 26 अगस्त 2005 द्वारा परिवर्तित की गई, जिसमें यह निर्णय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और कैपिंग सीमा सहित ब्याज की उच्चतम उद्धृत दरों के आधार पर निवेश योग्य निधियाँ निवेश की जायेंगी।

निवेश संबंधी दस्तावेजों के परीक्षण के दौरान यह पता चला, कि दिसम्बर 2003 से अक्टूबर 2005 तक की अवधि में विभाग द्वारा 5.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर भारतीय स्टेट बैंक में निवेश किया गया था । अगस्त 2005 में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी, विभाग को अन्य अधिक ब्याज दरों पर निवेश के लिए, भारतीय स्टेट बैंक से समय से पूर्व निवेश वापिस नहीं लिया । नवम्बर 2005 में किये गये निवेश पर 6.85 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने स्वयं पेशकश प्रस्तुत की। निवेश की शेष अवधि पर 0.5 प्रतिशत दण्ड लगाकर निवेश की गई राशि का समय से पूर्व भुगतान करने की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक में उपलब्ध थी। इस प्रकार यदि निवेश राशि पर 31.10.05 तक 0.5 प्रतिशत जुर्माने का भुगतान किया जाता तथा 01.11.05 से 6.85 प्रतिशत की दर पर उक्त राशि को पुनः भारतीय स्टेट बैंक में निवेश किया जाता तो न.दि.न.पा.परिषद् को 380.52 लाख रुपये का अधिक ब्याज प्राप्त होता जैसे कि अनुलग्नक VII पर प्रस्तुत है।

अतः वर्तमान उच्च ब्याज दरों पर निधि को पुनः सूचीबद्ध न करने के कारण 380.52 लाख रुपये की हानि हुई।

इसका उल्लेख किये जाने पर (दिसम्बर-2008), मुख्य लेखा अधिकारी ने (मार्च 2009) वर्णन किया कि पुनः अनुसूची तभी तैयार की गयी जब ब्याज दरें सामान्यतः अधिक हों क्योंकि जब भी

परिपक्व अवधि से पूर्व राशि कैश की जाती है, तो बैंक न केवल आगे के लिए कम दरें प्रदान करते हैं, बल्कि जुर्माना भी लगाते हैं।

मुख्य लेखा अधिकारी के उत्तर की समीक्षा इस आधार पर की जाती है कि परिपक्व अवधि से पूर्व एस.बी.आई. से राशि वापस लेने पर, दरें कम हुए बिना लागू दरों पर 0.5 प्रतिशत जुर्माना देय था। 0.5 प्रतिशत जुर्माना राशि कम करके कुल ब्याज राशि 380.52 लाख रुपये की हानि हुई। परिपक्व अवधि से पूर्व निधि वापस लेने पर यह जुर्माना बैंक अपनी नीति के अनुसार लगाता।

मामला विभाग को (जुलाई 2009) प्रेषित किया गया था एवं इनका प्रत्युत्तर (सितम्बर 2009) प्रतीक्षारत था।

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

अध्याय-III: सिविल इंजीनियरिंग विभाग

3.1 निर्धारित सीमा के पश्चात् प्रतिस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए सामान क्रय करने में अनियमितता

भंडार प्रभाग (सिविल) द्वारा किये गये करार की प्रतिस्थापन धारा के अनुसार निविदा में उद्धृत दरों पर करार में दी गई मूल मात्रा के अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता से केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा में सामान क्रय किया जा सकता है । लेकिन प्रभाग ने करार में निर्धारित अधिकतम सीमा का उल्लंघन करते हुए 26.92 प्रतिशत से 112.5 प्रतिशत अधिक मात्रा में सामान क्रय किया, जो माँग को अनुमानित करने में कमी को इंगित करता है।

भंडार(सिविल) प्रभाग का मुख्य कार्य न.दि.न.पा.परिषद् के रखरखाव तथा निर्माण प्रभागों के लिये अपेक्षित विभिन्न सामान को उपलब्ध कराना है। करारों, आपूर्ति आदेशों तथा प्रभाग से संबंधित अन्य रिकार्ड की जाँच करने से यह ज्ञात होता है कि करार की नियम एवं शर्तो की प्रतिस्थापन धारा का प्रयोग करते हुए ठेकेदारों को अतिरिक्त आपूर्ति आदेश दिये गये । प्रतिस्थापन धारा के अनुसार, निविदा में उद्धृत दरों पर करार में वर्णित मूल मात्रा के अतिरिक्त ठेकेदारों से केवल 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा में सामान क्रय किया जा सकता है । लेकिन यह पाया गया कि करारों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित करारों के अन्तर्गत क्रय किये गये सामान की अतिरिक्त मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक थी:

क्र. सं.	मद का नाम	करार/आपूर्ति आदेश सं0 तथा तिथि	आदेश में दी गई मूल मात्रा	आदेश में दी गई अतिरिक्त मात्रा	आपूर्ति आदेश/अनुपूरक करार की तिथि तथा संख्या	अतिरिक्त मात्रा की प्रतिशतता
1.	रोड मार्किंग पेंट गोल्डन येलो	103/ईई/भंडार/2006-07 दि. 2.12.06	8000 लीटर	9000 लीटर	124/ईई(भंडार)/2006-07 दि. 30.3.07	112.5 %
2.	सिन्थेटिक इनेमल पेंट गोल्डन येलो	67/ईई/भंडार/2006-07 दि. 18.10.06	9500 लीटर	5000 लीटर	123/ईई(भंडार)/2006-07 दि. 30.3.07	78.95 %
				2500 लीटर	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/डी/1047-52 दि. 6.3.07	
3.	सिन्थेटिक इनेमल पेंट ब्लैक शेड	71/ईई/भंडार/2006-07 दि. 25.10.06	13000 लीटर	3500 लीटर	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/ए-1/393-98 दि. 21.3.07	26.92 %

4.	सिन्थेटिक इनेमल पेंट अल्ट्रा व्हाइट	85/ईई/भंडार/2006-07 दि. 20.11.06	4100 लीटर	2000 लीटर	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/डी/1403-08 दि. 17.10.07	48.78-%
5.	सिन्थेटिक इनेमल पेंट लाईट ग्रे		2800 लीटर	1000 लीटर	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/डी/1403-08 दि. 17.10.07	35.71 %
6.	सिन्थेटिक इनेमल पेंट स्काई ब्लू	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/ए-1/डी/ 3655-63 दि. 30.10.06	2300 लीटर	1000 लीटर	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/डी-1409-14 दि. 17.10.07	43.48 %
7.	इन्सटैंट रोड रिपेयर बिटुमिनस प्री-मिक्स	52/ईई/भंडार/2007-08 दिनांक 29.10.07	34000 कि.ग्रा.	17000 कि.ग्रा.	आपूर्ति आदेश सं0 ईई(भंडार)/एबी/डी-1627-32 दि. 27.11.07	50 %

अतः यह देखा जा सकता है कि भंडार (सिविल)प्रभाग ने मूल करार से 20 प्रतिशत से अधिक मात्रा क्रय की, जो कि 26.92 प्रतिशत से 112.5 प्रतिशत है । इस प्रकार प्रभाग ने प्रतिस्थापन धारा में निर्धारित अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया जो कि मॉग के गलत अनुमान करने को इंगित करता है।

मामला (अगस्त 2009) विभाग को प्रेषित किया गया था। विभाग ने वर्णन किया (अगस्त 2009) कि विदेशी पदाधिकारियों एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन के कारण, क्षेत्र में नव-सुधार किया जाना नगर निकाय का विवेकाधीन दायित्व है । इसके परिणामस्वरूप सामान का विचलन सीमा से अधिक क्रय होने का कारण बना । पुनः यह वर्णन किया गया कि भविष्य में अनुपालन हेतु लेखा परीक्षा विभाग की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है तथा सामान की मात्रा का अन्तिम सीमा से विचलन नही किया जायेगा।

विभाग के प्रत्युतर पर इस तथ्य के दृष्टिगत विचार किया जाता है कि यदि मांग का सही तरीके से अनुमान लगाया जाता एवं निविदा आमन्त्रण सूचना अधिक मात्रा हेतु जारी की जाती तो इससे अधिक प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होते।

वाणिज्यिक विभाग

अध्याय-IV: वाणिज्यिक विभाग

4.1 अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज की वसूली न होने के कारण 1.03 करोड रुपये की हानि

परिषद् के अक्टूबर 2004 के प्रस्ताव के अनुसार, विद्युत के थोक उपभोक्ताओं के मामले में यदि अधिकतम मांग अनुबन्ध मांग से 5 प्रतिशत से अधिक हुई, तो ऐसे बिलिंग चक्र हेतु कुल मांग जमा ऊर्जा प्रभार पर 30 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जाना था । रिकार्ड की जांच से ज्ञात हुआ कि 34 मामलों में, अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज की वसूली न होने के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को 1.03 करोड़ रुपये की हानि हुई।

परिषद् ने जुलाई 2001 में पारित किया था कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु संशोधित विद्युत शुल्क दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लागू शुल्क के समान होगा । दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में अपनाई शुल्क अनुसूची में केवल यह अन्तर था कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में, मिश्रित लोड(उच्च दाब) श्रेणी हेतु दो भागों में शुल्क को वास्तविक खपत हेतु एकल भाग शुल्क किलो वाट प्रतिघंटा दर में समेकित किया गया था, क्योंकि ऐसे सभी उपभोक्ताओं के परिसरों पर इलैक्ट्रोनिक मीटरों का संस्थापन लम्बित होने के कारण अधिकतम मांग पर आधारित मांग प्रभारों को संगणित नहीं किया जा सका था । यद्यपि 558 कनेक्शनों, जहाँ स्वीकृत भार 100 किलो वाट या अधिक था, के मामले में इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने का कार्य जुलाई, 2003 में पूर्ण हो गया था तथापि मीटर रीडिंग उपकरण को क्रय करने, इंटरफेस सॉफ्टवेयर के विकास एवं संस्थापन तथा बिलिंग सॉफ्टवेयर के संशोधन में विलम्ब हुआ।

दो-भाग शुल्क प्रणाली लागू करने के लिए, परिषद् ने अक्टूबर 2004 में पारित किया कि विद्युत के थोक उपभोक्ताओ (100 कि.वा. तथा अधिक) के मामले में, स्वीकृत लोड अधिकतम मांग सूचक द्वारा दर्शाये गये अनुसार अधिकतम मांग के बराबर माना जाये और अधिकतम मांग सूचक की रिडिंग अनुबन्ध मांग से 5 प्रतिशत से अधिक होने पर ऐसे बिलिंग चक्र पर कुल मांग जमा ऊर्जा प्रभार पर 30 प्रतिशत का सरचार्ज लगाया जाये।

उच्च दाब थोक/प्राइवेट से संबंधित मीटर रीडिंग पुस्तिकाओं के साथ-साथ लैजर पुस्तिकाओं से संबंधित रिकार्डो की जांच से ज्ञात हुआ कि 34 मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप, अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज की वसूली न होने से, निम्न विवरण अनुसार 1.03 करोड़ रुपये की हानि हुई:

(i) 25 मामलों में मीटर रीडिंग पुस्तिका में अधिकतम मॉग सूचक रीडिंग को कम्प्यूटर प्रणाली में फीड नहीं किया गया था । इस प्रकार अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज, जहॉ भी लागू होता है, को लगाया नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक VIII में दिये गये विवरण अनुसार 70.93 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ii) छः मामलों में, अधिकतम मांग सूचक रीडिंग को कम्प्यूटर प्रणाली में फीड किया गया था तथा बिल में दर्शाया गया था। यद्यपि स्वीकृत लोड से 5 प्रतिशत से अधिक का अन्तर था, फिर भी अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज लगाया नहीं गया जिसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक IX में दिए गए विवरणानुसार 7.62 लाख रुपये की हानि हुई ।

(iii) तीन मामलों में, अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज को केवल मांग प्रभारों पर संगणित किया गया था जबकि इसे कुल मांग प्रभारों जमा ऊर्जा प्रभारों पर संगणित किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप अनुलग्नक X में दिए गए विवरणानुसार 24.35 लाख रुपये की हानि हुई।

इस प्रकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् को अधिकतम मांग सूचक सरचार्ज की वसूली न होने के कारण 1.03 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

मामला विभाग को प्रेषित किया गया था (जुलाई 2009)। उनका प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत था (सितम्बर 2009)।

4.2 विद्युत प्रभारों के बकायों की वसूली न होना

काफी संख्या में उपभोक्ताओं से विद्युत प्रभारों की वसूली करने में विभाग के असफल रहने के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2008 तक 103.93 करोड़ रुपये की राशि के बकाया का संचयन हो गया।

न.दि.न.पा.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 195 के अनुसार, यह परिषद् का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नई दिल्ली क्षेत्र हेतु विद्युत आपूर्ति की एक दक्षतापूर्ण, समन्वित तथा मितव्ययितापूर्ण पद्धति एवं रखरखाव करें तथा इस उद्देश्य हेतु समय-समय पर विद्युत प्रदाय का अर्जन एवं उपभोक्ताओं को वितरित करें । पुनः उक्त अधिनियम की धारा 200 में यह प्रावधान है कि विधि के उपबन्धों के अधीन परिषद् विद्युत प्रदाय के लिए ऐसी दरों पर प्रभार लगायेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर नियत किए जाए । विद्युत बिलों में दिये गये निर्देशों में यह भी उपबन्धित होता है कि बिल के भुगतान न होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बिना किसी पूर्व नोटिस के काट दी जाएगी तथा इसे अपेक्षित नोटिस की तरह माना जाए।

माँग तथा संग्रहण रजिस्टर की जाँच से यह ज्ञात होता है कि विद्युत प्रभारों की 31 मार्च 2008 तक 103.93 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। इस राशि में जून 2005 तक के जल प्रभारों के बकाया भी सम्मिलित थे तथा तत्पश्चात्, जल के बिल अलग से जारी किये जा रहे हैं । पिछले सात वर्षों के बकाया की स्थिति की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि पिछले कुछ वर्षों से स्थिति गम्भीर हो गई है। विद्युत तथा जल प्रभार (जून 2005 तक, जोकि विद्युत के बिल में सम्मिलित थे) का बकाया निम्न विवरणानुसार मार्च 2002 में 70.70 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2008 में 103.93 करोड़ रुपये हो गया:-

अवधि	मार्च के दौरान कुल माँग (रुपये करोड़ में)	कुल मांग में बकाया राशि (रुपये करोड़ में)	कुल मांग में बकाया की प्रतिशतता	बकायों में वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता
मार्च 2002	113.87	70.70	62.08	(+)43.10
मार्च 2003	116.33	70.99	61.02	(+)0.41
मार्च 2004	146.02	99.01	67.80	(+)39.47
मार्च 2005	135.76	90.18	66.43	(-)8.92
मार्च 2006	144.88	*103.12	71.18	(+)14.35
मार्च 2007	157.88	*110.56	70.16	(+)7.21
मार्च 2008	148.33	*103.93	70.07	(-)6.00

* जल प्रभार सम्मिलित नहीं

उपरोक्त आँकड़े इंगित करते हैं कि 2005 तथा 2008 के दौरान बकाया की स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्योंकि 31 मार्च 2004 को बकाया राशि 99.01 करोड़ रुपये से कम होकर मार्च 2005 में 90.18 करोड़ रुपये हो गई तथा 31 मार्च 2007 में 110.56 करोड़ रुपये से कम होकर मार्च 2008 में 103.93 करोड़ रुपये हो गई । मार्च 2002 से कुल वृद्धि लगभग 47 प्रतिशत ऑकी गई है।

यह राशि कब से बकाया है तथा उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने के कारण रिकार्ड में नहीं पाये गये । न्यायालय के आदेशों द्वारा स्टे के मामलों अथवा विवादास्पद/मुकदमेबाजी वाले मामलों का विवरण ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया । इन रिकार्डों की अनुपलब्धता से यह स्पष्ट नहीं था कि कितनी बकाया राशि वास्तव में वसूलनीय है । बकाया के अत्यधिक होने के परिणामस्वरूप परिषद् के लेखों, जो कि अब दोहरी लेखा प्रणाली पर (वर्ष 2004-05 से) तैयार किये जा रहे हैं, में सम्पत्तियों को अधिक दिखाया जा रहा है।

बकायों की कुल स्थिति स्पष्टत: इंगित करती है कि दोषी उपभोक्ताओं से विद्युत तथा जल के प्रभारों के बकायों की वसूली हेतु, पूर्व वार्षिक रिपोर्टो में इंगित करने के बावजूद, पर्याप्त कार्यवाही नहीं

की गई । परिणामस्वरूप 31 मार्च 2008 तक 103.93 करोड़ रुपये की राशि के विद्युत प्रभारों की वसूली नहीं की जा सकी।

यह मामला विभाग को (जुलाई 2009) भेजा गया था। विभाग ने बताया कि (सितम्बर 2009) कुल बकाया राशि में प्रभार जोड़ा जाता है जोकि हमेशा विवाद में रहता है, विशेष रूप से सरकारी विभागों के बारे में और विवाद ग्रस्त मामले विभिन्न अदालतों में अटके पड़े हैं । आगे यह कहा गया है कि दिसम्बर 2007 में चलाई गई निपटान योजना के अंतर्गत बकाए की बड़ी राशि 36.52 करोड़ रुपये का निपटान किया गया था तथा बकायों को समाप्त करने के प्रयास जारी हैं।

विभाग को बकायों की तुरन्त वसूली के लिए कदम उठाने चाहिए।

विद्युत
विभाग

अध्याय-V : विद्युत विभाग

5.1 खराब ट्रांसफार्मरों का निपटान न होना

न.दि.न.पा.परिषद् के विद्युत विभाग के रखरखाव दक्षिणी प्रभाग में 45 खराब/ जले हुए ट्रांसफार्मर थे । इनमें से 22 ट्रांसफार्मरों का निपटान हेतु सर्वेक्षण किया गया तथा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया । लेकिन, आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के 22 से 25 माह के पश्चात् भी इन ट्रांसफार्मरों का निपटान नहीं किया गया । शेष 23 ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया तथा वर्ष 1980 से 2007 से यह ट्रांसफार्मर खराब/जली हुई स्थिति में रखे हुए थे ।

सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधान के अनुसार, यदि कोई मद प्रयोग में न हो तो उसे अधिक्य अथवा अप्रचलित अथवा अनुप्रयोज्य घोषित कर दिया जाए, सक्षम प्राधिकारी मद (मदों) को अधिशेष अथवा अप्रचलित अथवा अनुप्रयोज्य घोषित करने हेतु उचित स्तर की एक समिति गठित कर सकते हैं; आधिक्य मदों का निपटान करने के लिए पुस्तक मूल्य, निर्देशी मूल्य और आरक्षित मूल्य अपेक्षित होंगे, की भी गणना की जाए।

यह अवलोकन किया गया कि न.दि.न.पा.परिषद् के विद्युत विभाग के रखरखाव दक्षिणी प्रभाग में 45 खराब/जले हुए ट्रांसफार्मर पड़े हुए थे । जिसमें से केवल 22 ट्रांसफार्मरों का रद्दीकरण करने हेतु सर्वेक्षण किया गया । इन ट्रांसफार्मरों की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर रद्दीकरण उप-समिति ने अपनी बैठक जुलाई 2006 तथा अक्तूबर 2006 में विचार किया तथा इन 22 ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य 60.99 लाख रुपये निर्धारित किया । उपसमिति द्वारा समाचार-पत्रों में प्रकाशित मार्किट दरों के अनुसार कॉपर तथा एम एस स्क्रैप की दरों के आधार पर आरक्षित मूल्य निर्धारित किये गये । शेष 23 ट्रांसफार्मर, जो 1936 से 1990 के दौरान क्रय किये गये थे तथा 1980 से 2007 तक खराब/जले हुए पड़े हैं, का सर्वेक्षण नहीं किया गया।

मामला विभाग के पास भेजा गया (अगस्त 2009) था । विभाग ने अपने प्रत्युत्तर में सूचित किया (अगस्त 2009) कि 22 ट्रांसफार्मरों की नीलामी हेतु मामला भंडार प्रभाग के पास था । तथापि, धातु मूल्यों में अत्यधिक गिरावट के कारण, सामान की बिक्री नहीं की जा सकी । पुनः यह सूचित किया गया कि शेष 23 ट्रांसफार्मरों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु कार्य चल रहा है तथा जैसे ही निराकरण उप-समिति द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित हो जाएगा, इसे इसके निपटान हेतु भंडार प्रभाग में अग्रसरित किया जाएगा।

अतः 22 ट्रांसफार्मरों हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के 22 से 25 माह के उपरान्त भी उनका निपटान नहीं किया जा सका। शेष 23 ट्रांसफार्मर भी 1 से 29 वर्ष की अवधि से खराब पड़े हैं एवं इसके बावजूद उनका आर्थिक मूल्य निश्चित/निर्धारित नहीं किया गया है। खराब ट्रांसफार्मरों के निपटान में देरी से उनके भंडार में मूल्यवान स्थान घेरने के अतिरिक्त अच्छे मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना भी कम हो जाएगी।

प्रवर्तन
विभाग

अध्याय- VI : प्रवर्त्तन विभाग

6.1 टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, तहबाजारी व स्टालों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना

टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, तहबाजारी व स्टालों के आवंटियों से लाईसेंस शुल्क के बकायों की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2008 को टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, तहबाजारी व स्टालों के आवंटियों पर 60.16 लाख रुपये बकाया थे।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 363 में यह व्यवस्था है कि इस अधिनियम अथवा किसी अन्य उपनियमों के अनुसार परिषद् को देय कोई भी प्रभार,लागत,व्यय,फीस, दर या किराया या किसी अन्य लेखे या कर का बकाया किसी व्यक्ति पर बकाया हो तो उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह बकाया परिषद् को देय होगा । बशर्ते कि बकाया देय की तिथि से तीन वर्ष के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

प्रवर्त्तन विभाग द्वारा टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, स्टालों, तहबाजारी आदि लाईसेंस पर दिए जाते हैं। विभाग इन इकाइयों के लाईसेंस धारियों से लाईसेंस शुल्क की वसूली के लिए जिम्मेदार है। टैक्सी बूथों, पी.सी.ओ. बूथों, स्टालों, और तहबाजारी के मांग व प्राप्ति रजिस्टरों की जांच से पता चला कि इन लाईसेंस धारकों की और 31 मार्च 2008 को 60.16 लाख रुपये के लाईसेंस शुल्क की राशि बकाया थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	इकाई का नाम	दोषियों की संख्या	राशि
1.	टैक्सी बूथ	32	21.29
2.	पी.सी.ओ.बूथ	4	0.38
3.	स्टाल थरेजा समिति द्वारा सत्यापित	443	32.57
4.	तहबाजारी (दक्षिणी)	19	1.37
5.	तहबाजारी (उत्तरी)	62	4.55
	योग	**560**	**60.16**

मार्च 2000, मार्च 2001, मार्च 2003, मार्च 2005 तथा मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्षो की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह इंगित किया गया था कि प्रवर्त्तन विभाग द्वारा टैक्सी बूथों, स्टालों, तहबाजारी आदि के आवंटियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गयी । परिणामस्वरूप इन इकाईयों के लाइसेंस धारियों की और लाइसेंस शुल्क की अत्यधिक राशि बकाया हो गई है । यह लाइसेंस शुल्क मार्च 2007 में 54.15 लाख रुपये (523 दोषी) से बढ़कर मार्च 2008 में 60.16 लाख रुपये (560 दोषी) हो गई थी।

टैक्सी बूथों, तहबाजारी, स्टालों व पी.सी.ओ. बूथों की ओर बकाया की जांच से निम्न की जानकारी मिलती है :-

(i) **टैक्सी बूथ**

टैक्सी बूथों के लाईसेंस धारकों की ओर बकाया की स्थिति में पिछले वर्ष की अपेक्षा मार्च 2008 को सुधार हुआ है । इन इकाइयों से मार्च 2007 में 53 दोषियों की ओर 34.36 लाख रुपये की बकाया राशि कम होकर मार्च 2008 में 32 दोषियों की और 21.29 लाख रुपये रह गई । कुल बकाया 21.29 लाख रुपये में लाईसेंस शुल्क के 2.80 लाख रुपये तथा 18.49 लाख रुपये ब्याज प्रभार के है । वैयक्तिक लाइसेंसधारी की ओर 247 रुपये से 2.74 लाख रुपये तक का बकाया है ।

(ii) **पी.सी.ओ.बूथ**

31 मार्च 2008 तक पी.सी.ओ. बूथ के चार लाईसेंसधारियों पर लाईसेंस शुल्क का 0.38 लाख रुपये बकाया था । वैयक्तिक लाईसेंससधारी की ओर 1421 रुपये से 29862 रुपये तक की राशि बकाया थी।

(iii) **थरेजा समिति द्वारा सत्यापित स्टाल/तहबाजारी**

इन इकाइयों की ओर बकाया इंगित करता है कि मार्च 2007 में 14.93 लाख रुपये (389 लाइसेंसधारियों) की बकाया राशि बढ़कर मार्च 2008 में 32.57 लाख रुपये (443 लाइसेंसधारियों) हो गयी। वैयक्तिक लाइसेंसधारियों की ओर 4 रुपये से 1.32 लाख रुपये तक बकाया था ।

(iv) **तहबाजारी (दक्षिण)**

इन इकाइयों की ओर बकाया से यह संकेत मिलता है कि मार्च 2007 में 1.02 लाख रुपये (16 दोषियों) बकाया में मामूली बढ़ोतरी होकर मार्च 2008 में 1.37 लाख रुपये (19 दोषियों) हो गयी है। इन लाइसेंसधारियों की ओर 100 रुपये से 27492 रुपये बकाया हैं ।

(v) **तहबाजारी (उत्तर)**

इन इकाईयों की ओर बकाया से यह संकेत मिलता है कि मार्च 2007 में 3.53 लाख रुपये (58 दोषियों) के बकाया में मामूली बढ़ोतरी के साथ मार्च 2008 में 4.55 लाख रुपये (62 दोषियों) हो गई । इन लाइसेंसधारियों की ओर 100 रुपये से 75604 रुपये तक बकाया हैं।

उक्त वर्णित बकायों की स्थिति इंगित करती है कि विभिन्न वाणिज्यिक इकाइयों के लाइसेंसधारियों से लाइसेंस शुल्क की वसूली का अनुवीक्षण दक्षतापूर्ण नहीं किया गया और दोषी लाइसेंस धारियों की ओर नियमाधीन कार्यवाही नहीं की गई । यह भी पाया गया था कि मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का उचित रखरखाव नहीं किया गया था और पूर्ण सूचना उसमें अंकित नहीं की गई

थी। किस तिथि से बकाया देय थे, उनको भी रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था । अनेक मामलों में रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी । बकाया पर देय ब्याज की भी अद्यतन गणना नहीं की गई थी और अनेक मामलों में दर्ज नहीं की गई थी।

विभाग के पास मामला भेजा गया था (जुलाई 2009)। विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों को अद्यतन नहीं किया गया था जिसके कारण आडिट के समय भारी राशि बकाए के रूप में पाई गई तथा अब रजिस्टरों को अद्यतन कर लिया है तथा भुगतान की स्थिति अद्यतन करने के पश्चात्, 19.62 लाख रुपये की राशि मार्च 2008 के पश्चात् प्राप्त की तथा 40.54 लाख रुपये की राशि बकाया है।

यद्यपि, विभाग के प्रत्युत्तर के साथ संलग्न, सभी दोषी पार्टियों की सूची से, जिनसे भुगतान की प्राप्ति हुई थी, यह अवलोकित किया गया कि सूची के अनुसार कुल प्राप्त भुगतान 18.65 लाख रुपये है जैसाकि प्रत्युत्तर में 19.62 लाख रुपये इंगित है । इसलिए, विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के दो सैट के मध्य 0.97 लाख रुपये का अन्तर है । पुनः यह अवलोकित किया गया कि आडिट द्वारा इंगित 560 दोषियों के मामले में, विभाग ने 409 दोषियों की एक सूची जारी की है, जिनसे राशि की वसूली की सूचना दी गई है, जिनमें से 388 मामलों में भुगतान की प्राप्ति की तिथि को नहीं दर्शाया गया है । एक मामले में सूची में दर्शाया गया भुगतान, बकाया राशि से 1500 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, दिखाया गया है जो यह इंगित करता है कि चालू बकाया के स्थान पर भी भुगतान प्राप्त किया गया था । विभाग ने पुनः सूचित किया कि शेष दोषियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है तथा कुछ दोषियों ने आगे से समय पर भुगतान का आश्वासन दिया।

अतः विभाग सभी मामलों में बकायों की वर्ष-वार स्थिति अभिनिश्चित करने के लिए समूची समीक्षा करे तथा बकायों के साथ चालू बकायों के स्थान पर वसूलियों को पृथक करे तथा बकायों की तुरंत वसूली के लिए प्रयास करें।

सम्पदा
विभाग

तिमिर

गागरी

अध्याय- VII : सम्पदा विभाग

7.1 व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आवण्टियों से लाइसैंस शुल्क के बकायों की वसूली न होना

विभाग की व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आवण्टियों से लाइसैंस शुल्क के बकायों की वसूली हेतु पर्याप्त कदम उठाने में असफलता के परिणामस्वरूप 390 पार्टियों से, उनके द्वारा परिसरों को खाली करने के बाद भी, 121.87 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

मार्च 1999, मार्च 2000, मार्च 2002, मार्च 2004 तथा मार्च 2006 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक आडिट रिपोर्टों में टिप्पणी की गई थी कि विभाग ने व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आवण्टियों से बकायों की वसूली करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की । परिणामस्वरूप, व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध लाइसैंस शुल्क का बकाया निरन्तर बढ़ रहा है।

व्यवसायिक इकाइयों के पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध बकायों की स्थिति की पुनः समीक्षा से ज्ञात हुआ कि आडिट में बार-बार इंगित करने के बावजूद, पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध बकायों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ । जबकि स्थिति पुनः खराब हो गई तथा पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध बकाया 31 मार्च 2006 को 387 पार्टियों से 72.09 करोड़ रुपये से बढ़कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31 मार्च 2008 को 390 पार्टियों से 121.87 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार, पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध बकाया दो वर्षों की अवधि में लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गया।

121.87 करोड़ रुपये के बकाया का विस्तृत विश्लेषण निम्न प्रकार था :-

क्र. सं.	बकायों का विस्तार	मामलों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1.	5 लाख रुपये तक	124	2.11
2.	5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक	64	4.61
3.	10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रुपये तक	138	21.30
4.	25 लाख रुपये से अधिक तथा 50 लाख रुपये तक	45	14.39
5.	50 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये तक	11	7.07
6.	1 करोड़ रुपये से अधिक	8	72.39
	योग	**390**	**121.87**

पुनः बकायों का विस्तृत विश्लेषण दर्शाता है कि 124 मामलों में वैयक्तिक लाईसैंस धारियों से बकाया 5 लाख रुपये तक था तथा 8 मामलों में वैयक्तिक लाइसैंस धारियों से बकाया 1 करोड़ रुपये से अधिक तथा 33.95 करोड़ रुपये तक था ।

आडिट को उपलब्ध कराए गए रिकार्ड, बकाया किस तिथि से शेष था, बकायों का वर्षवार ब्यौरा, भुगतान न होने हेतु कारण तथा बकायों की वसूली हेतु विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दर्शाते । तथापि दो वर्षो में बकायों की राशि में लगभग 69 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट रूप से पुराने बकायों की वसूली में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की अपर्याप्तता दिखाई दी ।

मामला विभाग को (जुलाई 2009) भेजा गया था । विभाग ने बताया (अगस्त 2009) कि 121.87 करोड़ रुपये के कुल बकाया में से, 81.81 लाख रुपये की राशि अप्रैल 1999 से मार्च 2004 तक 12 मामलों के विरूद्ध वसूली गई। वर्ष 2008-09 हेतु पाँच मामलों में 47.92 लाख रुपये की वसूली की गई जबकि एक मामले में 6.55 लाख रुपये के पश्चातवर्ती तिथि के चैक प्राप्त किए गए। पुनः यह बताया गया कि बकाया की वसूली हेतु कठोर प्रयास किए जा रहे हैं।

विभाग के प्रत्युत्तर की समीक्षा इस तथ्य के प्रकाश में की गई कि विभाग द्वारा की गई वसूलियाँ नगण्य हैं तथा कुल बकायों के केवल 1.2 प्रतिशत हैं ।

पूर्व आवण्टियों के विरुद्ध बकायों की खराब स्थिति को दृष्टि में रखते हुए पुराने बकायों की वसूली हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए समुचित स्तर पर तत्काल स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मिश्र
निर्गीतिका
माला

अध्याय- VIII : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

8.1 वार्षिक रखरखाव अनुबंध सौंपने से पूर्व काफी संख्या में कम्प्यूटरों/ पेरीफेरियल्स संबंधित उपकरणों के आंकड़ों का मिलान न करना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मार्च 2007 में एक फर्म से एक वर्ष के लिए 29.37 लाख रुपये की लागत पर 1212 कम्प्यूटरों एवं पेरीफेरियल्स के वार्षिक रखरखाव के लिए अनुबंध किया। कार्य सौंपने के उपरांत, फर्म ने पाया कि 1212 उपकरणों, जिसके लिए वार्षिक रखरखाव का अनुबंध सौंपा गया है, में से 377 उपकरण गायब थे। विभाग ने बारीकी से उपकरणों की जॉच तथा मिलान किये बिना, फर्म द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक रखरखाव अनुबंध की लागत को संशोधित कर 18.80 लाख रुपये कर दिया।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने परिषद् के विभिन्न विभागों में संस्थापित एच पी, काम्पैक, आई बी एम के कम्प्यूटरों तथा अन्य संबंधित पैरीफेरियल्स हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए फर्म को एक कार्य आदेश दिनांक 28 मार्च 2007 को जारी किया । यह कार्य आदेश 10 अप्रैल 2007 से एक वर्ष की अवधि हेतु प्रिंटर, स्कैनर्स,सी.डी.राइटर्स, लैपटॉप, सरवर इत्यादि सहित अन्य संबंधित पैरीफेरियल्स तथा 1212 कम्प्यूटरों (पी I से पी IV) हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित था जिसके लिए, वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्रभार 29.37 लाख रुपये फर्म को देय थे।

पेरीफैरियल्स तथा 1212 कम्प्यूटरों हेतु वार्षिक रखरखाव अनुबंध का कार्य आदेश सौंपने के उपरांत, फर्म ने उपकरणों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया तथा पाया कि कुल उपकरणों जिनके लिए वार्षिक रखरखाव का अनुबंध सौंपा गया था में से 377 उपकरण गायब थे। इस संबंध में वित्त विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कम्प्यूटरों एवं पेरीफेरियल्स के सही ऑकड़ों की अनुपलब्धता का मुद्दा भी उठाया तथा इस मामले में बारीकी से जॉच करने तथा पुराने कम्प्यूटरों की प्रत्यक्ष जॉच करने की सलाह दी । वित्त विभाग के परामर्श पर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 28 सितम्बर 2007 को सभी विभागों को अनुरोध करते हुए एक परिपत्र जारी किया कि पुराने कम्प्यूटरों की जॉच करें और पुराने कम्प्यूटर वापिस सौंप दें । लेकिन, बारीकी से जॉच किये बिना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनाँक 15 अक्टूबर 2007 को फर्म द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वार्षिक रखरखाव अनुबन्ध 29.37 लाख रुपये को संशोधित कर 18.80 लाख रुपये का कर दिया।

यह मामला विभाग को (अगस्त 2009) भेजा गया था । विभाग ने (अगस्त 2009) अपने उत्तर में बताया कि सामान्य अनुभाग द्वारा पी.सी., सरवर, प्रिंटर, लेपटोप, यु.पी.एस. आदि क्रय किए जा रहे हैं और विभिन्न विभागों को प्रदान किए जा रहे हैं। नए पी.सी. और पेरीफेरल वारंटी समय में थे और सामान्य अनुभाग द्वारा प्रदान किए गए नये उपकरणों के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बेखबर था और

उसने अनुमान उद्देश्य के लिए सारे पी.सी. और पेरीफेरल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार उन पर कार्यवाही की । पुनः यह कहा गया है कि यह सम्भव है कि पी.सी. और पेरीफेरल के बारे में फर्म चूक गई विशेष रूप से जो क्षेत्र में हैं तथा विचलन का सही कारण, यदि कोई हो, ऐ.एम.सी. के अंन्तर्गत रखे गए पी.सी. और पेरीफेरलों का विभाग द्वारा प्रत्यक्ष भंडार सत्यापन से ही विनिश्चय किया जा सकता है जोकि वांछित आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया में है।

इस प्रकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने उपलब्ध उपकरणों की वास्तविक संख्या जाने बिना फर्म से वार्षिक रखरखाव का अनुबन्ध कर लिया । इसके साथ ही, जब तक न.दि.न.पा.परिषद् द्वारा सभी उपकरणों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक उपकरणों की कमी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता।

कर

विभाग

अध्याय- IX : कर विभाग

9.1 सम्पत्ति कर के बकायों की वसूली न होना

दोषी पार्टियों से सम्पत्ति कर की वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। परिणामस्वरूप, मार्च 2008 तक 6172 पार्टियों से सम्पत्ति कर के बकाया तथा जुर्माने की राशि 675.60 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की जा सकी।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 101 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कर के भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, माँग नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर कर का भुगतान नहीं करता है तथा इस कर के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जाती है, तो उसे दोषी माना जाये तथा जुर्माने, जो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कर की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं, कर की राशि के अतिक्ति कर की बकाया के रूप में वसूल किया जाये । अधिनियम की धारा 102 में यह भी प्रावधान है कि यदि कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति, नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर देय राशि का भुगतान नहीं करता है, से सभी लागतों एवं जुर्माने सहित कर की राशि की डिसट्रेस द्वारा वारंट के अन्तर्गत तथा चल सम्पत्ति की बिक्री अथवा दोषी पार्टी की अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री द्वारा वसूली की जाये।

यह देखा गया कि अधिनियम में दोषी पार्टियों से नगरपालिका करों की वसूली हेतु विशेष प्रावधान होने के बावजूद, सम्पत्ति कर की बकाया राशि, पिछली वार्षिक आडिट रिपोर्टों में उल्लेखित करने के बावजूद, बहुत अधिक रही, जो यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 1 अप्रैल 2008 को सम्पत्ति कर तथा जुर्माने की राशि 675.60 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी । 675.60 करोड़ रुपये की राशि में कर राशि 669.14 करोड़ रुपये तथा जुर्माने की राशि 6.46 करोड़ रुपये सम्मिलित है । ऑडिट को करों के बकाया का वर्षवार विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। मामलों की संख्या तथा स्टे एवं रिमांड के अंतर्गत वसूली राशि की सूचना भी ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराई गई ।

यह भी पाया गया कि सम्पत्ति कर की मार्च 2007 में बकाया 645.85 करोड़ रुपये की राशि मार्च 2008 में बढकर 675.60 करोड़ रुपये हो गई । कर के शेष बकायों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि बकाया राशि 3669 मामलों में एकल पार्टियों के विरूद्ध एक लाख रुपये तक थी, 68 मामलों में एकल पार्टियों के विरूद्ध 1 करोड़ रुपये से अधिक कर की बकाया राशि थी (रिमांड/स्टे मामलों सहित)। सम्पत्ति कर की शेष बकाया राशि एवं जुर्माने का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है:-

(रुपये करोड़ में)

बकाया की राशि	गृह कर		जुर्माना		कुल बकाया
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की सं.	राशि	
50 हजार रु0 तक	3087	3.11	666	0.19	3.30
50 हजार रु0 से अधिक किन्तु 1 लाख रु0 से कम	582	4.16	143	0.14	4.30
1 लाख रु0 से अधिक किन्तु 5 लाख रु0 से कम	1450	36.52	501	1.03	37.55
5 लाख रु0 से अधिक किन्तु 25 लाख रु0 से कम	812	86.48	280	1.55	88.03
25 लाख रु0 से अधिक किन्तु 50 लाख रु0 से कम	115	40.95	27	0.63	41.58
50 लाख रु0 से अधिक किन्तु 1 करोड़ रु0 से कम	58	37.19	22	1.38	38.57
1 करोड़ रु0 से अधिक	68	460.73	16	1.54	462.27
कुल	**6172**	**669.14**	**1655**	**6.46**	**675.60**

कुल मिलाकर स्थिति असंतोषजनक थी तथा यह इंगित करती है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विभाग द्वारा प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये, जिसके परिणामस्वरूप 675.60 करोड़ रुपये की राशि के सम्पत्ति कर की वसूली नहीं हो पाई । इसलिए विभाग को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु एक उचित प्रक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है।

मामला विभाग के पास भेजा गया था (जुलाई 2009), उनका प्रत्युतर प्रतीक्षारत था (सितम्बर 2009)।

9.2 संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली न होना

ऑडिट द्वारा पूर्व में इंगित करने के बावजूद दोषी संस्थानों से सम्पत्ति कर की वसूली करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई । जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं की ओर 31 मार्च 2008 तक कर की बकाया की राशि इक्ट्ठी होकर 9.09 करोड़ रुपये हो गई।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम की धारा 62 में प्रावधान है कि सिवाय भूमि एवं भवनों या भूमि एवं भवनों के भाग, जो केवल सार्वनिक पूजा या धमार्थ उद्देश्य के लिए समिति या

निकाय द्वारा अधिवासित एवं प्रयोग किये जा रहे हैं, नई दिल्ली स्थित सभी भूमि और भवनों पर सम्पत्ति कर लगाया जाये।

मार्च 2004, मार्च 2005, मार्च 2006 तथा मार्च 2007 के अंत में जारी प्रत्येक वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह इंगित किया गया था कि विभिन्न विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली हेतु गृह कर विभाग द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप काफी संस्थाओं की ओर समपत्ति कर की बहुत अधिक बकाया राशि संचित हो गई है।

संस्थाओं से सम्पत्ति कर की वसूली की स्थिति की पुनः समीक्षा से ज्ञात होता है कि यद्यपि 31 मार्च 2007 को 35 संस्थाओं की ओर बकाया राशि 10.98 करोड़ रुपये में नाम मात्र की कमी के साथ मार्च 2008 को 29 संस्थाओं की ओर 9.09 करोड रुपये हैं (अनुलग्नक XI), इन संस्थाओं की ओर अभी भी काफी बड़ी राशि बकाया है।

संस्थाओं की ओर कर की बकाया राशि का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्र. सं.	बकायों की सीमा	संस्थाओ की संख्या	बकाया राशि (रुपये करोड़ में)
1.	1 लाख रुपये तक	2	0.01
2.	1 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक	12	0.40
3.	10 लाख रुपये से अधिक तथा 25 लाख रुपये तक	5	0.88
4.	25 लाख रुपये से अधिक तथा 50 लाख रुपये तक	3	1.21
5.	50 लाख रुपये से अधिक	7	6.59
	कुल	**29**	**9.09**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 29 संस्थाओं की ओर 9.09 करोड़ रुपये में से 7.80 करोड़ रुपये की कुल राशि 10 संस्थाओं की ओर बकाया है । एकल संस्थाओं की ओर 27,706 रुपये से 1.55 करोड़ रुपये तक की राशि बकाया है । बकाया राशि के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दो मामलों में एकल संस्थाओं की ओर सम्पत्ति कर की बकाया राशि एक लाख रुपये तक थी तथा सात मामलों में कर की बकाया राशि 50 लाख रुपये से अधिक थी तथा 1.55 करोड़ रुपये तक थी।

किस तिथि से संस्थाओं ने कर की राशि का भुगतान नहीं किया है तथा बकायों का वर्षवार विवरण ऑडिट को उपलब्ध नहीं कराया गया था। स्टे एवं रिमांड के मामलों की संख्या एवं इन मामलों में बकाया राशि की सूचना ऑडिट को उपलब्ध नही कराई गई थी।

संस्थाओं की ओर सम्पत्ति कर की अत्यधिक बकाया राशि स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि कर की वसूली के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2008 तक 9.09 करोड़ रुपये की राशि का सम्पत्ति कर वसूल नहीं किया गया।

मामला विभाग को भेजा गया था (जुलाई 2009); उनका प्रत्युतर प्रतीक्षारत था (सितम्बर 2009)।

(के.के. श्रीवास्तव)
मुख्य लेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक: जनवरी 2010

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(निर्दिष्ट पैरा 1.5.1)

प्राप्तियों का रूझान

(रुपये हजार में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक 2006-07	वास्तविक 2007-08	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
	कर राजस्व				
1	गृहकर (ए-I)	1532701	1884801	352100	22.97%
2	कर का निर्धारित हिस्सा (ए-II)	172743	208177	35434	20.51%
3	विज्ञापन/प्रदर्शन/थियेटर कर (ए-III & ए-IV)	254	1179	925	364.17%
4	सम्पत्ति के हस्तांतरण पर शुल्क (ए-V)	259021	136868	(-)122153	(-)47.16%
5	अन्य कर (ए-VI)	15	23	8	53.33%
	योग	**1964734**	**2231048**	**266314**	**13.55%**
	II- गैर कर राजस्व				
1	भवन संबंधित प्राप्तियॉ (ए-VII)	10179	10715	536	5.27%
2	शुल्क एवं जुर्मानें (ए-VIII)	9868	11566	1698	17.21%
3	निवेश पर ब्याज (बी -i)	1585909	3094488	1508579	95.12%
4	अग्रिमों पर ब्याज (बी-ii)	1878	1920	42	2.24%
5	प्रशासनिक विभाग (सी)	28427	20506	(-)7921	(-)27.86%
6	समाज सेवाएं (डी.)	49110	47698	(-)1412	(-)2.88%
7	विद्युत (ई.)	5484149	5632386	148237	2.70%
8	जल की बिकी (एफ.)	200694	213584	12890	6.42%
9	अन्य नगरपालिका कार्य	1329749	1396619	66870	5.03%
	योग	**8699963**	**10429482**	**1729519**	**19.88%**
	III- सरकारी सहायता				
1	ऋण	0	0	0	0.00%
2	अनुदान सहायता (योजना) जे -2	124750	404500	279750	224.25%
3	अनुदान सहायता (गैर योजना) जे -I	292243	350984	58741	20.10%
4	विधायक निर्वाचन निधि जे -3	31068	49979	18911	60.87%
	योग	**448061**	**805463**	**357402**	**79.77%**
	IV- जमा कार्य				
1	जमा कार्य (के) **योग**	**137289**	**125740**	**(-)11549**	**(-)8.41%**
	कुल योग	**11250047**	**13591733**	**2341686**	**20.81%**

अनुलग्नक II

[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9.(क)]

लेखा शीर्ष जिसमें बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान उपलब्ध था किन्तु वास्तविक व्यय शून्य था

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सी.1.11 यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता (अध्यक्ष कार्यालय)	38	500	0
2	सी.7.7 अन्य प्रभार	50	20	0
3	सी.7.9 मेधावी कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन योजना	100	50	0
4	सी.7.17 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
5	सी.7.18 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	20	20	0
6	सी.16.1 इंजीनियर-इन-चीफ:वेतन एवं भत्ते	557	156	0
7	सी.16.4 अन्य प्रभार	50	20	0
8	डी.1.1.6 वैन का रखरखाव एवं परिचालन	100	50	0
9	डी.1.1.13 कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं का संस्थापन	5000	500	0
10	डी.1.1.14 कम्प्यूटर शिक्षा प्रशिक्षण का बाह्य स्रोत	1000	1000	0
11	डी.1.2.ए.12 प्रयोगशाला/पुस्तकालय फर्नीचर	100	10	0
12	डी.1.4.5 (iv) नि:शुल्क स्टेशनरी की आपूर्ति	100	100	0
13	डी.1.4.5 (v) फर्नीचर/पीटी उपकरण	100	10	0
14	डी.1.4.5 (vii) पुस्तकालय पुस्तकें	100	10	0
15	डी.1.4.9 (1) (बी) शारीरिक शिक्षा का विस्तार	100	20	0
16	डी.1.4.9 (1) (एफ) मानदेय	10	10	0
17	डी.1.4.9 (1) (जी) अवकाश यात्रा रियायत	30	30	0
18	डी.1.6.6. समाज शिक्षा हेतु योजना	200	50	0
19	डी.1.6.10 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
20	डी.1.7.5 फर्नीचर एवं उपकरण	10	10	0
21	डी.1.7.6 ए (i) जनसंख्या अनुसंधान एवं सामग्री हेतु कर्मचारी: वेतन एवं भत्ते	1091	850	0
22	डी.1.7.6 ए (v) अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
23	डी.1.7.7.1 कार्य अनुभव कार्यक्रम: वेतन एवं भत्ते	306	141	0

24	डी.1.8.1 सार्वजनिक वाचनालय वेतन एवं भत्ते	154	173	0
25	डी.1.8.5 अधिक वाचनालय खोलना	50	50	0
26	डी.1.10.4 वाहनों का क्रय	20	20	0
27	डी.1.10.5 वैन का रखरखाव एवं परिचालन	50	50	0
28	डी.1.10.9 (ii) अन्य मदें	150	100	0
29	डी.1.10.13 मानदेय	15	15	0
30	डी.1.10.14 अवकाश यात्रा रियायत	200	100	0
31	डी.1.16.8 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
32	डी.1.19.1 समाज कल्याण वर्कर्स: वेतन एवं भत्ते	2336	1775	0
33	डी.1.19.9 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
34	डी.1.22 कैनवस जूतो की आपूर्ति	300	100	0
35	डी.2.1.13 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	10	100	0
36	डी.2.2.12. 1 ब्लड बैंक की स्थापना: वेतन एवं भत्ते	2185	2204	0
37	डी.2.2.12.5 अनुग्रह राशि	5	5	0
38	डी.2.2.12.6 बोनस	15	15	0
39	डी.2.2.14.4 बोनस	10	10	0
40	डी.2.2.14.6 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
41	डी.2.3.7 वैन का रखरखाव एवं परिचालन	50	50	0
42	डी.2.8.11 अवकाश यात्रा रियायत	500	50	0
43	डी.2.10.4 अन्य प्रभार	100	50	0
44	डी.2.11.1 जन्म-मृत्यु ऑकड़ो का संग्रहण: वेतन एवं भत्ते	1908	2012	0
45	डी.2.11.4 अन्य प्रभार	500	200	0
46	डी.2.11.5 जन्म-मृत्यु ऑकड़ो इकाई को सशक्त करना	500	200	0
47	डी.2.11.6 अनुग्रह राशि	15	15	0
48	डी.2.11.7 बोनस	10	10	0
49	डी.2.11.9 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	0
50	डी.2.12.5 आहार प्रभार	1500	1500	0
51	डी.2.12.14 मानदेय	20	5	0
52	डी.2.12.15 अवकाश यात्रा रियायत	588	50	0
53	डी.2.13.4 अन्य प्रभार	100	100	0
54	डी.2.13.9 वैन का रखरखाव एवं परिचालन	50	50	0
55	डी.2.13.11 अवकाश यात्रा रियायत	200	25	0
56	डी.2.14.8 अनुग्रह राशि	5	5	0

57	डी.2.14.11 अवकाश यात्रा रियायत	7	7	0
58	डी.2.15.6 अन्य प्रभार	100	100	0
59	डी.2.16.13 कूड़ेदान का रखरखाव एवं वार्षिक मरम्मत	600	50	0
60	डी.2.17.4 सुरक्षा उपकरणों का क्रय	500	100	0
61	डी.2.17.14 उठाने वाले वाहनों का क्रय	500	1300	0
62	डी 2.18.4 वैन का रखरखाव एवं परिचालन	250	250	0
63	डी.2.18.11 अवकाश यात्रा रियायत	24	50	0
64	डी.2.19.4 लारवानाशक दवा एवं उपकरण	500	50	0
65	डी.2.20.1 आवारा कुत्तो को मारना: वेतन एवं भत्ते	872	921	0
66	डी.2.20.4 अन्य प्रभार	1500	1500	0
67	डी.2.20.5 अनुग्रह राशि	15	15	0
68	डी.2.20.9 अवकाश यात्रा रियायत	20	20	0
69	डी.2.21.4 अन्य प्रभार	50	100	0
70	डी.2.21.7 स्वास्थ्य शिक्षा इकाई को सशक्त करना	500	500	0
71	डी.3.1.7 अस्पताल के कूड़े का निपटान	700	200	0
72	डी.3.1.14 मानदेय/समयोपरि भत्ता	50	5	0
73	डी.4.1.4 रखरखाव सिविल	1000	1000	0
74	डी.4.1.12 अवकाश यात्रा रियायत	200	50	0
75	डी.4.2.1.8 मानदेय/	0	10	0
76	डी.4.2.1.9 अवकाश यात्रा रियायत	115	50	0
77	डी.4.2.2.9 अवकाश यात्रा रियायत	60	60	0
78	डी.4.3.1 शव वाहन सेवाएँ: वेतन एवं भत्ते	1467	1504	0
79	डी.4.3.6 अनुग्रह राशि	10	12	0
80	डी.4.5.1 पशु बाडा: वेतन एवं भत्ते	7241	7924	0
81	डी.4.5.6 अनुग्रह राशि	107	107	0
82	डी.4.5.9 अवकाश यात्रा रियायत	10	10	0
83	डी.4.6.4.बी समाज सहायता कल्याण/योजना	4000	7200	0
84	डी.4.6.5. डी अवकाश यात्रा रियायत	25	25	0
85	डी.4.6.7.5 मूल कार्य	100	500	0
86	डी.4.6.7.6 बोनस	58	47	0
87	डी.4.11.3.झुग्गी झोपड़ी समूहों की पुन: स्थापना	100	10	0
88	डी.4.13.3.बी बोनस	7	7	0
89	डी.4.13.6 अवकाश यात्रा रियायत	200	50	0

90	डी.7.10 अवकाश यात्रा रियायत.	205	50	0
91	डी.8.4 अनुग्रह राशि	112	112	0
92	डी.8.5 बोनस	22	22	0
93	डी.8.7 अवकाश यात्रा रियायत.	133	50	0
94	जी.2.5 टावर लैडर्स का क्रय	1000	8000	0
95	एच.1.8. डी कामकाजी महिला हॉस्टल का निर्माण	500	200	0
96	एच.3.10 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	200	50	0

अनुलग्नक- III
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (ख)]

संशोधित अनुमान के विरूद्ध शून्य व्यय के साथ लेखा शीर्ष

(रुपये हजार में)

क्र.स.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक. व्यय
1	डी.1.5.12 मानदेय	0	5	0
2	डी.1.7.6. ए (ii) अनुग्रह राशि	0	7	0
3	डी.1.7.6. ए (iv) मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
4	डी.1.7.7.6 अनुग्रह राशि	0	2	0
5	डी.1.7.7.8 मानदेय	0	5	0
6	डी.1.14.7 मानदेय	0	5	0
7	डी.1.16.7 मानदेय	0	5	0
8	डी.1.19.5 अनुग्रह राशि	0	17	0
9	डी.1.19.8 मानदेय	0	5	0
10	डी.2.2.11.सी मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
11	डी.2.2.12.7 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
12	डी.2.2.14.5 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
13	डी.2.3.19 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
14	डी.2.4.12 मानदेय	0	5	0
15	डी.2.6.3 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
16	डी.2.8.10 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
17	डी.2.10.7 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
18	डी.2.11.8 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
19	डी.2.13.10 मानदेय	0	5	0
20	डी.2.14.10 मानदेय	0	5	0
21	डी.2.15.11 मानदेय	0	5	0
22	डी.2.15.13 (IV) महामारी चिकित्सा की शक्त करना	0	300	0
23	डी.2.15.13 (V) मानदेय	0	5	0
24	डी.2.18.10 मानदेय	0	5	0

25	डी.2.19.12 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	50	0
26	डी.4.1.11 मानदेय	0	5	0
27	डी.4.2.1.8 मानदेय	0	10	0
28	डी.4.2.2.4 अन्य प्रभार	0	50	0
29	डी.4.3.8 मानदेय	0	5	0
30	डी.4.4.4 डी के.लो.नि.विभाग कालोनी पार्कों का रखरखाव	0	6000	0
31	डी.4.6.6.8 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	5	0
32	डी.4.6.7.8 अनुग्रह राशि	0	20	0
33	डी.4.13.5 मानदेय	0	5	0
34	डी.8.6 मानदेय	0	5	0
35	एफ.12 जल टैंकरों का क्रय	0	4500	0

अनुलग्नक- IV
[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9(ग)]

संशोधित अनुमानों के 50 प्रतिशत से अधिक बचतों कें लेखाशीर्षो का विवरण

(रुपये हजार में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
1	ए.1.4. अन्य प्रभार	100	50	15	35	70.00
2	ए.1.6 बोनस	17	17	5	12	70.59
3	सी.1.5 अन्य प्रभार	1000	1000	156	844	84.40
4	सी.1.10 अवकाश यात्रा रियायत	200	200	45	155	77.50
5	सी.2.4 अन्य प्रभार	250	250	87	163	65.20
6	सी.2.9 अवकाश यात्रा रियायत	200	200	98	102	51.00
7	सी.3.8 (vi) वर्दियॉ	10000	10000	1642	8358	83.58
8	सी.3.8 (xiii) अग्निशमन की नई योजना	15500	14500	2985	11515	79.41
9	सी.3.8 (xv) बैंक प्रभार	200	500	224	276	55.20
10	सी.3.19ए पालिका परिषद् सहभागिता:नई पेंशन योजना	2500	3000	1177	1823	60.77
11	सी.4.8 अवकाश यात्रा रियायत	100	100	17	83	83.00
12	सी.5.7 बोनस	10	10	5	5	50.00
13	सी.5.9 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	3	47	94.00
14	सी.6.5 (ii) पालिका पुस्तकालय	800	800	218	582	72.75
15	सी.6.5(iii) अन्य मदें	50	50	10	40	80.00
16	सी.6.8 खेल पुस्तकालय	20	20	2	18	90.00
17	सी.6.9ए सांस्कृतिक गतिविधियॉ	3000	3000	1441	1559	51.97
18	सी.7.11 बैठक प्रबन्धन	100	50	10	40	80.00
19	सी.8.8 मानदेय	100	100	43	57	57.00
20	सी.8.9 अवकाश यात्रा रियायत	50	50	14	36	72.00
21	सी.10.4 अन्य प्रभार	150	150	41	109	72.67
22	सी.10.9 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	10	10	5	5	50.00
23	सी.12.5 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	20	3	17	85.00

24	सी.12.6 अवकाश यात्रा रियायत	70	70	5	65	92.86
25	सी.12.7 अन्य प्रभार (स्वास्थ्य)	1500	2300	764	1536	66.78
26	सी.14.12 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	100	49	51	51.00
27	सी.14.13 अवकाश यात्रा रियायत	500	100	18	82	82.00
28	सी.15.1 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग: वेतन भत्ता	7694	7791	3427	4364	56.01
29	सी.15.4 (ए) ई.फाइनैंस परियोजना	2000	3000	5	2995	99.83
30	डी.1.1.10 मानदेय	50	50	1	49	98.00
31	डी.1.2.4 छात्रवृत्ति	50	20	2	18	90.00
32	डी.1.2.5 विज्ञान उपकरण	100	200	76	124	62.00
33	डी.1.2. ए.4 अन्य प्रभार	100	100	35	65	65.00
34	डी.1.2.ए.9 विज्ञान उपकरण	100	100	41	59	59.00
35	डी.1.3.8 प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार	1000	1500	5	1495	99.67
36	डी.1.3.12 अवकाश यात्रा रियायत	150	150	34	116	77.33
37	डी.1.4.5 (ix) गर्म स्वेटरों की आपूर्ति	4000	1000	197	803	80.30
38	डी.1.4.9 (आई) (डी) अनुगृह राशि	10	5	2	3	60.00
39	डी.1.5.13 अवकाश यात्रा रियायत	200	100	26	74	74.00
40	डी.1.7.4 अन्य प्रभार	50	50	24	26	52.00
41	डी.1.7.6 (v) अवकाश यात्रा रियायत	50	50	2	48	96.00
42	डी.1.7.7.7. कार्यानुभव एवं अभिरूचि योजना	0	100	29	71	71.00
43	डी.1.10.9 (i) खाद्य उत्पादों का क्रय	0	6000	1759	4241	70.68
44	डी.1.14.6 बोनस	478	412	7	405	98.30
45	डी.1.16.4 अन्य प्रभार	400	400	99	301	75.25
46	डी.1.19.4 छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन	0	100	10	90	90.00
47	डी.1.20.4 अन्य प्रभार	200	200	98	102	51.00
48	डी 2.2.7 चरक पालिका अस्पताल में सेवाओं का सशक्तिकरण	0	5000	2261	2739	54.78
49	डी.2.2.14.1 केंसर रोधी केन्द्र: वेतन एवं भत्ते	1492	1501	440	1061	70.69
50	डी.2.2. ए.11 अवकाश यात्रा रियायत	3765	2000	210	1790	89.50
51	डी 2.2. ए.12 अस्पताल कचरे का निपटान	500	300	104	196	65.33
52	डी.2.3.13 औषधालयों का सुधार	4700	4950	2134	2816	56.89
53	डी.2.5.13 अवकाश यात्रा रियायत	275	25	7	18	72.00
54	डी.2.6.13 वैन परिचालन एवं रखरखाव	200	200	12	188	94.00
55	डी.2.8.5 अन्य प्रभार	10	50	1	49	98.00

56	डी.2.8.6 वैन का परिचालन एवं रखरखाव	50	50	5	45	90.00
57	डी.2.8.9 बोनस	52	77	37	40	51.95
58	डी.2.10.8 अवकाश यात्रा रियायत	100	50	25	25	50.00
59	डी.2.12.4.ए उपकरण	350	350	102	248	70.86
60	डी.2.12.6 अन्य प्रभार	10000	15000	6692	8308	55.39
61	डी.2.12.13 वैन का परिचालन एवं रखरखाव	50	50	17	33	66.00
62	डी.2.13.1 परिवार नियोजन: वेतन एवं भत्ते	3618	3241	500	2741	84.57
63	डी.2.13.8 बोनस	20	20	7	13	65.00
64	डी.2.14.6 अन्य प्रभार	100	50	12	38	76.00
65	डी.2.15.1 महामारी से बचाव:वेतन एवं भत्ते	13371	9541	3737	5804	60.83
66	डी.2.15.9 अनुग्रह राशि	93	76	12	64	84.21
67	डी.2.15.12 अवकाश यात्रा रियायत	251	100	21	79	79.00
68	डी.2.15.13.(iii) बोनस	10	10	5	5	50.00
69	डी.2.16.16 मानदेय	0	100	27	73	73.00
70	डी.2.17.7 डीजल पम्पों का परिचालन एवं रखरखाव	0	10	1	9	90.00
71	डी.2.17.10 अन्य प्रभार	400	1300	636	664	51.08
72	डी.2.17.15 पम्पों का क्रय	200	600	296	304	50.67
73	डी.2.17.18 मानदेय	10	50	19	31	62.00
74	डी.2.17.19 अवकाश यात्रा रियायत	326	300	75	225	75.00
75	डी.2.18.5 पुलिस की लागत	2000	1800	596	1204	66.89
76	डी.2.19.6 वैन का परिचालन एवं रखरखाव	2250	1550	640	910	58.71
77	डी.2.19.13 अवकाश यात्रा रियायत	210	100	9	91	91.00
78	डी.3.1.5 औषधि	100	100	7	93	93.00
79	डी.3.1.10 बोनस	30	49	15	34	69.39
80	डी.3.1.15 अवकाश यात्रा रियायत	200	25	2	23	92.00
81	डी.4.1.9. अनुग्रह राशि	91	72	25	47	65.28
82	डी.4.2.1.5 अन्य प्रभार	100	50	13	37	74.00
83	डी.4.2.2.7 बोनस	57	57	18	39	68.42
84	डी.4.4.6 अन्य प्रभार	200	200	62	138	69.00
85	डी.4.4.8 उपकरणों का क्रय	3500	2500	435	2065	82.60
86	डी.4.4.9 यंत्रों का क्रय	2000	1000	145	855	85.50
87	डी.4.4.10 मूल कार्य	27350	27900	12644	15256	54.68

88	डी.4.4.11 अनुग्रह राशि	447	480	206	274	57.08
89	डी.4.4.16 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	5	200	3	197	98.50
90	डी.4.6.4.ए वैन का परिचालन एवं रखरखाव	100	50	25	25	50.00
91	डी.4.6.6.10 मूल कार्य	200	300	113	187	62.33
92	डी.4.6.7.1 महिला हेतु तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान वेतन एवं भत्ते	4890	3539	227	3312	93.59
93	डी.4.10.1 धोबी घाट: मूल कार्य	1750	2200	837	1363	61.95
94	डी.4.13.1 शिशु कल्याण केन्द्र:वेतन एवं भत्ते	2040	2060	980	1080	52.43
95	डी.4.13.3ए अनुग्रह राशि	10	10	2	8	80.00
96	डी.7.6 अन्य प्रभार	0	100	17	83	83.00
97	डी.7.8 बोनस	25	5	2	3	60.00
98	डी.7.9 मानदेय/समयोपरि भत्ता	0	10	2	8	80.00
99	डी.8.1 बारात घर/रात्रि विश्रामलय: वेतन एवं भत्ते	8097	8272	41	8231	99.50
100	ई.2.2 विद्युत उपभोक्ता हेतु व्यय	1000	500	76	424	84.80
101	ई.2.3 लोकाकायुक्त कार्यालय के परिचालन हेतु हिस्सा लागत	300	350	122	228	65.14
102	ई.4.3 यंत्र एवं उपकरण	1240	575	38	537	93.39
103	ई.6 (i) वाहन का क्रय	650	1565	760	805	51.44
104	ई.6 (vi) फर्नीचर	950	765	133	632	82.61
105	ई.10 अवकाश यात्रा रियायत	4480	2000	602	1398	69.90
106	ई.12 यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता	6595	1000	7	993	99.30
107	एफ.14 बोनस	129	1050	183	867	82.57
108	एफ.16 अवकाश यात्रा रियायत	953	150	13	137	91.33
109	एच.1.13 भंडार का परिचालन एवं रखरखाव	500	500	43	457	91.40
110	एच.2.5 वैन का परिचालन एवं रखरखाव	200	300	150	150	50.00
111	एच.2.9 अनुग्रह राशि	1560	3164	1059	2105	66.53
112	एच.2.13 अवकाश यात्रा रियायत	1227	200	34	166	83.00
113	एच.3.4 वास्तुविद: अन्य प्रभार	300	600	155	445	74.17
114	एच.3.9 अवकाश यात्रा रियायत	200	100	31	69	69.00

अनुलग्नक- V

[निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (घ)]

अधिक्य व्यय

(रुपये हजार में)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
1	ए.1.1. वाणिज्यक एवं कर कार्यालय वेतन एवं भत्ते	15999	16434	18064	1630	9.92
2	ए. 1.7. मानदेय	200	50	128	78	156.00
3	सी. 3.5. सिविक रिसैप्शन	500	600	654	54	9.00
4	सी. 3.8.(X) सुरक्षा	35000	35000	36217	1217	3.48
5	सी.3.8 (xi)मानव संसाधन विकास	3200	3775	4457	682	18.07
6	सी.4.1 विधि विभाग: वेतन एवं भत्ते	20948	14773	18312	3539	23.96
7	सी.7.1 स्टॉफ एंव श्रम विभाग वेतन एवं भत्ते	2792	2911	6610	3699	127.07
8	सी.8.7 कार का परिचालन एवं रखरखाव	100	100	236	136	136.00
9	सी.12.1 विभागीय जलपान ग्रह	4731	3491	3590	99	2.84
10	सी.13.1 मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालय-वेतन एवं भत्ते	20398	14351	15773	1422	9.91
11	सी.14.1 ऑटो वर्कशाप-वेतन एंव भत्ते	29086	24515	30965	6450	26.31
12	सी.14.6 वर्कशॉप मशीन का परिचालन एवं रखरखाव	200	300	517	217	72.33
13	सी.14.10 अनुग्रह राशि	440	336	371	35	10.42
14	डी.1.1.11 अवकाश यात्रा रियायत	250	250	33143	32893	13157.20
15	डी.1.10.1 मध्यान भोजन योजना: वेतन एवं भत्ते	2395	693	1141	448	64.65
16	डी.1.16.1 युवा केन्द्र: वेतन एवं भत्ते	2132	1353	1626	273	20.18
17	डी.1.2.1 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय वेतन एवं भत्ते	70722	48557	54554	5997	12.35
18	डी.1.2.ए.1 माध्यमिक विद्यालय वेतन एवं भत्ते	59360	64454	67858	3404	5.28
19	डी.1.2.ए.10 मानदेय	0	50	141	91	182.00
20	डी.1.2.ए.5 अनुग्रह राशि	100	45	116	71	157.78
21	डी.1.2.ए.6 बोनस	756	538	593	55	10.22
22	डी.1.3.11 मानदेय	0	50	121	71	142.00
23	डी.1.4.1 प्राथमिक विद्यालय वेतन एवं भत्ते	91446	101824	114836	13012	12.78

24	डी.1.4.7.ए अनुग्रह राशि	261	118	202	84	71.19
25	डी.1.4.7.बी बोनस	1200	1174	1272	98	8.35
26	डी.1.4.7.सी मानदेय	200	150	309	159	106.00
27	डी.1.4.9 (I) (ए) शारीरिक शिक्षा-वेतन एवं भत्ते	366	484	528	44	9.09
28	डी.1.5.1 नर्सरी विद्यालय- वेतन एवं भत्ते	29720	29586	29847	261	0.88
29	डी.1.6.1 सामज एवं प्रौढ़शिक्षा: वेतन एवं भत्ते	12912	14347	14882	535	3.73
30	डी.1.6.7 बोनस	225	215	222	7	3.26
31	डी.1.7.1 इन सर्विस विज्ञान केन्द्र वेतन एवं भत्ते	708	706	2328	1622	229.75
32	डी.2.10.5 अनुग्रह राशि	207	207	214	7	3.38
33	डी.2.15.4 वैन के चलाना तथा रखरखाव	50	500	836	336	67.2
34	डी.2.16.14 अनुग्रह राशि	4531	2874	3614	740	25.75
35	डी.2.17.6 बरसाती जल निकासी का रखरखाव	5300	4177	4366	189	4.52
36	डी.2.17.9 वैन के चलाना तथा रखरखाव	450	450	725	275	61.11
37	डी.2.18.1 खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण वेतन एवं भत्ते	3134	3301	3893	592	17.93
38	डी.2.2.1 चरक पालिका अस्पताल: वेतन एवं भत्ते	63613	64057	67813	3756	5.86
39	डी.2.2.10 अन्य प्रभार	6000	6000	6502	502	8.37
40	डी.2.2.11.डी अवकाश यात्रा रियायत	2500	25	125	100	400.00
41	डी.2.2.6 वैन के चलाना तथा रखरखाव	200	100	128	28	28.00
42	डी.2.2.A.4 मूल कार्य	500	400	605	205	51.25
43	डी.2.3.20 अवकाश यात्रा रियायत	600	100	127	27	27.00
44	डी.2.4.1 आयुवेर्दिक डिस्पैसरी: वेतन एवं भत्ता	14077	12312	13527	1215	9.87
45	डी.2.4.13 अवकाश यात्रा रियायत	250	25	231	206	824.00
46	डी.2.4.4 दवाइयॉ	4000	6000	6281	281	4.68
47	डी.2.6.15 अवकाश यात्रा रियायत	75	25	115	90	360.00
48	डी.4.1.4 रखरखाव (विद्युत)	1460	300	345	45	15.00
49	डी.4.2.2.1 बाल अनुरक्षण केन्द्र: वेतन एवं भत्ते	3062	2938	5563	2625	89.35
50	डी.4.4.15 अवकाश यात्रा रियायत	590	100	105	5	5.00
51	डी.4.4.4.सी उद्यान	27500	24000	25954	1954	8.14
52	डी.4.4.5 वैन के चलाना तथा रखरखाव	1000	1500	1735	235	15.67
53	डी.4.5.4 वैन के चलाना तथा रखरखाव	300	300	363	63	21.00
54	डी.4.6.1 समाज कल्याण: वेतन एवं भत्ते	3688	4574	4714	140	3.06
55	डी.4.6.7.4 अन्य प्रभार	500	500	627	127	25.4
56	डी.7.4 इन्दोर स्टेडियम (वि.) का रखरखाव	6900	1000	5712	4712	471.2

57	ई..2.1 विद्युत/जल प्रभार बिल के कम्पयूरटीकरण हेतु भुगतान ।	4000	500	1323525	1323025	264605.00
58	ई..5 वैन के चलाना तथा रखरखाव	2050	2000	4300	2300	115.00
59	ई.9 मानदेय भत्ता	0	400	1574	1174	293.5
60	एफ.13 अनुग्रह राशि	1912	748	1546	798	106.68
61	एफ.5 कार्य का रखरखाव	6500	6500	69665	63165	971.77
62	एफ.7 वैन के चलाना तथा रखरखाव	2000	2000	3351	1351	67.55
63	एच.1.13.ए सामग्री जांच प्रयोगशाला की चलाना एवम् रखरखाव	50	50	120	70	140.00
64	एच.1.14 अनुग्रह राशि	75	939	1111	172	18.32
65	एच.1.6 वैन के चलाना तथा रखरखाव	3000	3500	4753	1253	35.8
66	एच.3.1 वास्तुविद एवं पर्यावरण विभाग: वेतन एवं भत्ते	18938	14932	18748	3816	25.56
67	एच.3.6 अनुग्रह राशि	64	64	113	49	76.56

अनुलग्नक- VI

[(निर्दिष्ट पैरा 1.15.9 (ड़)]

संशोधित अनुमानों में प्रावधान के बिना व्यय

(रुपये हजार में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	विवरण	संशोधित अनुमान	वास्वविक व्यय
1	सी.7.2	स्टॉफ तथा श्रम कल्याण:भविष्य निधि का भुगतान	0	123
2	सी.7.4	स्टॉफ तथा श्रम कल्याण: मनोरंजन क्लब हेतु अनुदान सहायता	0	9
3	सी.14.11	ऑटो वर्कशाप: बोनस	0	11
4	सी.16.8	इंजीनियर-इन चीफ: अवकाश यात्रा रियायत	0	4
5	डी.1.1.8	शिक्षा मुख्यालय: बोनस	0	32
6	डी 1.14.5	समाज शिक्षा/गृह क्लयाण केन्द्र: अनुग्रह राशि	0	328
7	डी.1.4.9(I)(ई)	शारीरिक शिक्षा:बोनस	0	9
8	डी.1.7.6.(II)	इन सर्विस कम साइंस सैंटर:बोनस	0	17
9	डी.1.7.7.7	कार्यानुभव कार्यक्रम तथा हॉबी केन्द्र: बोनस	0	9
10	डी.2.2..ए.6	पालिका प्रसूति अस्पताल:अनुग्रह राशि	0	63
11	डी.2.2.14.2	कैंसर रोधी केन्द्र:अन्य सेवाएँ	0	2
12	डी.2.2.ए.4 (73)	पालिका प्रसूति अस्पताल हेतु अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण	0	31
13	डी.2.2.ए.4 (76)	उपचार सुविधा का संस्थापन, चालू करना	0	86
14	डी.2.21.1	स्वास्थ्य शिक्षा:वेतन एवं भत्ते	0	505
15	डी.2.21.8	स्वास्थ्य शिक्षा: अनुग्रह राशि	0	8
16	डी.2.8.8.	स्कूल स्वास्थ्य सेवा: अनुग्रह राशि	0	15
17	डी.3.1.9	पशुपालन: अनुग्रह राशि	0	20
18	डी.4.1.10	तरणताल: बोनस	0	3
19	डी.4.12.1 (216)	नवयुग विद्यालय लक्ष्मी बाई नगर के फ्लैटों हेतु सुधार।	0	68
20	डी.4.12.1 (247)	नौरोजी नगर मार्किट तथा ई एस एस एम सी के फ्लैटों हेतु सुधार	0	100
21	डी.4.12.1 (255)	सॉउथ एंड लेन कॉम्पलैक्स का पुर्नविकास	0	15
22	डी 4.12.1.(259)	बापू धाम पर धोबी घाट फ्लैटों हेतु सुधार	0	79

23	डी.4.2.4(151)(a)	अतिरिक्त क्वाटरों का निर्माण	0	249
24	डी.4.4.10 (163)	आवासीय कालोनी में पार्के का विकास	0	165
25	डी.4.4.10 (178)(i)	तालकटोरा गार्डन में सुरताल खुला थियेटर	0	589
26	डी.4.4.4.ए	गार्डनों, पार्को, तथा फव्वारों की मरम्मत: विद्युत	0	37
27	डी.4.5.7	पशुबाड़ा: बोनस	0	5
28	डी.4.6.5 (188)	राजा बाजार सिलाई केन्द्र पर सुधार कार्य	0	90
29	डी.2.5.10	होम्योपैथिक डिस्पैंसरियां: बोनस	0	27
30	ई.4.1 (264) (1)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संसद मार्ग पर स्विचिंग स्टेशन की स्थापना	0	4179
31	ई.4.1(264) (54)	विद्युत सब-स्टेशन किदवई नगर के मध्य निम्नदाब अन्तयोजक	0	2469
32	ई.4.1(264) (61)	नए निर्माण से निम्न दाब फीडर के निम्न दाब वितरण पद्धति का संवर्धन।	0	5
33	ई.4.1(264) (66)	सब-स्टेशन लेडी इरविन कॉलेज से निम्न दाब वितरण पद्धति का संवर्धन।	0	1780
34	ई.4.1(264) (71)	उत्तरी/पश्चिमी मोती बाग में निम्नदाब वितरण पद्धति का संवर्धन	0	1826
35	ई.4.1.(263) (ए)(17)	33 के.वी. सब-स्टेशन ट्रामा सेन्टर की स्थापना	0	5790
36	ई.4.1.(263) (ए)(19)	कनॉट प्लेस में 33 के.वी./आई/डी सब-स्टेशन की स्थापना	0	134
37	ई.4.1.(263) (ए) (20)	सब-स्टेशन निर्माण भवन पर टी आर क्षमता का संवर्धन	0	233
38	ई.4.1.(263) (ए) (5)	स्टेट गेस्ट हाउस में 66 के.वी. सब-स्टेशन की स्थापना	0	251
39	ई.4.1.(264) (46)	अफ्रीका एवेन्यू पम्प हाउस में निम्नदाब नेटवर्क को सशक्त करना	0	37
40	ई.4.1.(264) (84)	टी.ई.सहित पहियों व केबल ट्रेंच का प्रावधान	0	706
41	ई.4.1.(264) (87)(8)	डलहौजी रोड पर विद्युत सब-स्टेशन का सुधार	0	13
42	ई.4.1.(264)(52)	नार्थ एवेन्यू स्थित सब-स्टेशन बाह्य निम्नदाव	0	1082
43	ई.4.1.(264)(81)	माइक्रो प्रोसेसर बेस की संस्थापना/प्रावधान	0	6033
44	ई.8	विद्युत आपूर्ति:बोनस	0	506
45	एफ.11 (265) (3)	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में ट्यूब बैल को रिचार्ज करना	0	24
46	एफ.11 (265) (31)	छत्त पर जलरोध लगाना	0	44
47	एफ.11(285) (36)	न.दि.न.पा.परि. क्षेत्र में सीवर/जल पद्धति को संशक्त करना	0	1170

48	एफ.6.(I)	जलापूति: बूस्टर पम्प (बिजली) का रखरखाव	0	1006
49	जी.1.3 (268) (44)	लोधी एस्टेट का पुन: सतहीकरण/सुदृढ़ीकरण	0	188
50	जी.1.3 (268) (54)	सी-हैक्सागन से अकबर रोड तक फुटपाथ का सुधार	0	2
51	जी.1.3 (268) (55)	क्यू प्वाइंट व शाहजहॉ रोड के फुटपाथ का सुधार	0	9
52	जी.1.3 (268)(100)	प्रीकास्ट इन्टर लाकिंग कंक्रीट उपलब्ध/लगाना	0	2482
53	जी.1.3 (288) (34)	आर-1 डिविजन में स्पीड ब्रेकर का रूपांतरण	0	15
54	जी.1.3(269)(1)	महानगर शहर में पार्किंग स्थलों का निर्माण	0	489
55	जी.1.3. (268)	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में सड़कों की सशक्त/पुन: सतहीकरण करना	0	511
56	जी.1.3. (268) (i)	नवरंग हाउस के पीछे इन्टरलाकिंग फुटपाथ बिछाना	0	2095
57	जी.1.3.(268) (152)	जीपीओ गोल चौराहे पर कोलतार की परत बिछाना/उपलब्ध करना	0	201
58	जी.1.3.(268) (64)	रेलवे पुल के ऊपर पुरानी/खराब रेलिंग को बदलना	0	196
59	जी.1.3.(268) (67)	वर्तमान सेन्ट्रल बाई को 40 से.मी.उठाना	0	12
60	जी.1.3.(288)(164)	डलहौजी रोड मदर टेरेसा में पैदल पथ का उन्नयन	0	218
61	जी.2.6(274)	फुटपाथ के ऊपर आर आई मेन्स का संवर्धन व आर एल का सुधार	0	66
62	एच.1.18.	अन्य परिषद् कार्य: उपकरण व संयंत्र की खरीद	0	53
63	एच.1.8 (316)	बेगम जैदी मार्किट मोती बाग का सुधार	0	179
64	एच.1.8.(301) (1)	गोल मार्किट गोल चौराहे को पुन: ठीक करना	0	1528
65	एच.1.8.(320)	कनाट प्लेस का उन्नयन/मरम्मत करना	0	20461

अनुलग्नक-VII
(निर्दिष्ट पैरा 2.2)

प्रचलित ब्याज की उच्च दरों पर निधि के पुनः अनुसूचितबद्ध न होने के कारण ब्याज की हानि दर्शाते हुए तालिका

निवेश की राशि (रुपये करोड़ में)	निवेश की तिथि (डीओआई)	परिपक्वता की तिथि	ब्याज की वार्षिक दर (प्रतिशत)	दि. 1.11.05 से परिपक्वता की तिथि तक दिनों की संख्या	दि. 1.11.05 से परिपक्वता की तिथि तक अर्जित ब्याज (रुपये)	इस अवधि के दौरान 6.85 प्रतिशत की दर से अर्जित किया जा सकने वाला ब्याज (रुपये)	निवेश की तिथि से दि. 31.10.05 तक दिन	पूर्व परिपक्वता पर 0.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की हानि (रुपये)	पूर्व परिपक्वता पर 0.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की हानि होने के पश्चात् अर्जित किया जाने वाला ब्याज (7-9) (रुपये)	ब्याज की हानि (10-6) (रुपये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3.00	24.12.03	28.12.06	5.50	423	1912192	2381548	678	278630	2102918	190726
8.00	8.01.04	10.01.07	5.25	436	5016986	6545973	663	726575	5819398	802412
4.00	19.01.04	22.01.07	5.25	448	2577534	3363068	652	357260	3005808	428274
4.00	4.03.05	6.03.08	5.75	857	5400274	6433370	242	132603	6300767	900493
7.50	4.04.05	6.03.08	5.75	857	10125514	12062568	211	216781	11845787	1720273
36.50	20.04.05	23.04.08	5.75	905	52037500	61992500	195	975000	61017500	8980000
7.50	18.05.05	20.05.08	5.75	932	11011644	13118220	167	171575	12946645	1935001
22.00	1.06.05	3.06.08	5.75	946	32786027	39058137	153	461096	38597041	5811014
13.50	21.06.05	21.06.08	5.75	964	20501507	24423534	133	245959	24177575	3676068
15.00	18.07.05	22.07.08	5.75	995	23511986	28009932	106	217808	27792124	4280138
3.00	22.08.05	23.08.08	5.75	1027	4853630	5782151	71	29178	5752973	899343
16.00	7.09.05	9.09.08	5.75	1044	26314521	31348603	55	120548	31228055	4913534
11.00	4.10.05	8.10.08	5.75	1073	18593767	22150836	28	42192	22108644	3514877
कुल										**38052153**

अनुलग्नक-VIII
(निर्दिष्ट पैरा 4.1)

अधिकतम मॉग सूचक प्रभारों का न लगाना

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	बिल का मास एवं वर्ष	स्वीकृत लोड (के. वी.ए)	अधिकतम माँग सूचक के अनुसार लोड (के. वी.ए.)	बिल/लेजर के अनुसार मॉग प्रभार	अधिकतम मॉग सूचक के अनुसार बकाया मॉग प्रभार	खपत की गई यूनिट	ऊर्जा प्रभार	अधिकतम माँग सूचक सरचार्ज ऊर्जा प्रभार की 30 प्रतिशत की दर पर+माँग प्रभार	माँग प्रभारों का अन्तर	कम मॉगी गई कुल राशि
1.	6500851	जून 07	133	150	21945	24750	42810	193073	65347	2805	68152
2.	6500851	सितम्बर 07	133	148	21945	24420	43500	196185	66182	2475	68657
3.	6500547	सितम्बर 07	307	339	50655	55935	99720	449737	151702	5280	156982
4.	6500705	दिसम्बर 07	212	509	34980	83985	138600	625086	212721	49005	261726
5.	6000073	सितम्बर 07	315	356	51975	58740	77800	350878	122885	6765	129650
6.	6000121	अगस्त 07	1295	4200	194250	630000	1134000	4649400	1583820	435750	2019570
7.	6000121	सितम्बर 07	1295	4380	194250	657000	1248000	5116800	1732140	462750	2194890
8.	6000123	सितम्बर 07	614	376 457	101300	137445	20760 48120	310649	134428 0	36145 0	170573
9.	6000094	जून 07	123	256	20295	42240	76760	346188	116528	21945	138473
10.	6000094	जुलाई 07	123	247	20295	40755	64720	291887	99793	20460	120253
11.	6000094	अगस्त 07	123	240	20295	39600	76920	346909	115953	19305	135258
12.	6000094	सितम्बर 07	123	242	20295	39930	68920	310829	105228	19635	124863
13.	6000094	अक्टूबर 07	123	248	20295	40920	62400	281424	96703	20625	117328
14.	6000094	नवम्बर 07	123	199	20295	32835	59480	268255	90327	12540	102867
15.	6000094	दिसम्बर 07	123	160	20295	26400	48640	219366	73730	6105	79835
16.	6000094	जनवरी 08	123	160	20295	26400	48200	217382	73135	6105	79240
17.	6000094	फरवरी 08	123	182	20295	30030	54960	247870	83370	9735	93105
18.	6000094	मार्च 08	123	169	20295	27885	52680	237587	79642	7590	87232
19.	6000094	अप्रैल 08	123	196	20295	32340	60800	274208	91964	12045	104009
20.	6000094	जून 07	263	154 270	43395	69960	25280 48200	331395	120406	26565 0	146971
21.	6000094	जून 07	263	146	43395	70950	24640	333199	121245	27555	148800

				284			49240			0	0
22.	6000094	अगस्त 07	263	143 289	43395	71280	25960 61920	396339	140286	27885 0	168171 0
23.	6000094	सितम्बर 07	263	135 286	43395	69465	21960 55440	349074	125562	26070 0	151632 0
24.	6000094	अक्टूबर 07	263	97 276	43395	61545	18480 49280	305598	110143	18150 0	128293 0
25.	6000094	नवम्बर 07	263	79 224	43395	49995	13480 41800	249313	89792	6600	96392
कुल											**7092922**

अनुलग्नक -IX
(निर्दिष्ट पैरा 4.1)

वह मामले जहाँ पर स्वीकृत लोड की अधिकतम मॉग सूचक 5 प्रतिशत अधिक है, वहाँ अधिकतम मॉग सूचक के अनुसार मॉग प्रभार वसूले गए किन्तु सरचार्ज नहीं लिए गए

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	उपभोक्ता सं0	बिल का मास एवं वर्ष	स्वीकृत लोड (के. वी.ए)	अधिकतम मॉग सूचक के अनुसार लोड (के. वी.ए.)	बिल/लेजर के अनुसार मॉग प्रभार	अधिकतम मॉग सूचक के अनुसार बकाया मॉग प्रभार	खपत की गई यूनिट	ऊर्जा प्रभार	अधिकतम मॉग सूचक सरचार्ज बकाया ऊर्जा प्रभार की 30 प्रतिशत की दर पर+मॉग प्रभार	मॉग प्रभारों का अंतर	कुल राशि कम वसूली गई
1.	6500600	मई 07	232	259	51800	51800	59940	292507	103292	0	103292
2.	6500600	जून 07	232	320	64000	64000	84580	412555	142967	0	142967
3.	6500600	जुलाई 07	232	308	61600	61600	71160	347261	122658	0	122658
4.	6500600	अगस्त 07	232	307	61400	61400	84420	411970	142011	0	142011
5.	6500600	सितम्बर 07	232	327	65400	65400	70980	346382	123535	0	123535
6.	6500600	अक्टूबर 07	232	273	54600	54600	76440	373027	128288	0	128288
						कुल					**762751**

अनुलग्नक - X
(निर्दिष्ट पैरा 4.1)

मामले जहाँ केवल माँग प्रभारों पर वसूले/संगणित अधिकतम माँग सूचक सरचार्ज

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	उपभोक्ता संख्या	बिल का मास एवं वर्ष	स्वीकृत लोड (के.वी.ए)	अधिकतम माँग सूचक के अनुसार लोड (के.वी.ए.)	बिल/लेजर के अनुसार माँग प्रभार	खपत की गई यूनिट	ऊर्जा प्रभार	बिल/लेजर के अनुसार अधिकतम माँग सूचक सरचार्ज लगाना।	अधिकतम माँग सूचक सरचार्ज ऊर्जा प्रभार की 30 प्रतिशत की दर पर जमा माँग प्रभार	माँग प्रभारों का अंतर
1.	6500625	सितम्बर 07	5250 (मीटर ए पर)	3336	500550	1694400	6947040	150165	2234277	2084112
2.	6000094	मई 07	215 (मीटर ए पर)	250	41250	46040	207640	12375	74667	62292
3.	6500628	जून 07	2737 (मीटर ए पर)	450	74250	213558	963147	22275	311219	288944
						कुल				**2435348**

अनुलग्नक - XI
(निर्दिष्ट पैरा 9.2)

31 मार्च 2008 तक निजी संस्थानों के विरूद्ध सम्पत्ति कर के बकाया

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	बकाया (रोक तथा वापसी सहित)	दण्ड	प्रोसेसिंग फीस	कुल
1.	कार्मल कांवेट आवासीय भवन	165222	0	10	165232
2.	दिल्ली कनाडा स्कूल लोधी एस्टेट	230713	27695	50	258458
3.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	276149	33144	50	309343
4.	विधान चन्द्रा विद्यालय, मोतीबाग	149500	0	35	149535
5.	एक्स वाई ब्लाक के पास बाल कल्याण केन्द्र के पीछे	494511	7128	40	501679
6.	खालसा बाल प्राथमिक स्कूल बंगला साहिब मार्ग	26094	1552	60	27706
7.	जिजस एंड मैरी स्कूल कावेंट बंगाला साहिब रोड	3628215	0	45	3628260
8.	हरकोर्ट बटलर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, मंदिर मार्ग	231235	13756	60	245051
9.	निर्मल शिक्षा केन्द्र	764235	45441	40	809716
10.	14, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	5389383	72060	55	5461498
11.	सिंगल स्टोरी चार कमरे विरांदा स्कूल	122452	0	20	122472
12.	26, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	5079421	337474	50	5416945
13.	नवनिर्मित भवन मैसोनिक मंदिर	12772577	49129	70	12821776
14.	क्रिस्ट राजा स्कूल डीआईजैड एरिया स्कूल	971805	57783	65	1029653
15.	172-बी, लोधी एस्टेट	1970699	0	5	1970704
16.	इंडियन लॉ इंस्टटीयूट भगवान दास रोड	15510659	0	10	15510669
17.	5, न्याय मार्ग	90608	0	5	90613
18.	जवाहर भवन ट्रस्ट, 3, रायसिन्हा रोड,	14237585	0	39	14237624
19.	इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, लोधी एस्टेट	4927122	0	5	4927127
20.	श्री गुरू हरकिशन गर्ल्स वरि. मा. स्कूल	96378	5739	60	102177
21.	गरू तेग बहादुर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल	194601	11578	60	206239
22.	25, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	5259491	348621	50	5608162
23.	भारत सन्धु समाज स्कूल	2209094	132681	116	2341891
24.	8, भाई वीर सिंह मार्ग स्कूल	719625	42075	60	761760
25.	27-29, भाई वीर सिंह मार्ग	1712528	0	15	1712543
26.	लेडी इरविन कालेज	3252000	254141	55	3506196
27.	मैत्रीय कालेज	0	401791	40	401831
28.	इण्डियन सोसायटी आफ इन्टरनेशनल लॉ 9, भगवान दास रोड	6726828	135958	15	6862801
29.	सैन्ट्रल एकेडमी स्कूल	1663620	98076	60	1761756
	कुल	**88872350**	**2075822**	**1245**	**90949417**